सत्यमेव जयते

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

Scanned by CamScanner

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v-vi
भाग-क पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय-1 पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढ़ांचा	1.3	1
वित्तीय रूपरेखा	1.4	3
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.6	6
पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा	1.7	6
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.8	6
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.9	7
अनुपालना हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.10	7
अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम		
लेखा-पद्धति	2.1	9
राजस्व	2.2	11
निधियों का अवरोधन	2.3	12
संदेहास्पद नियुक्ति तथा मजदूरी का दो बार भुगतान	2.4	14
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा स्कीम) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब	2.5	14
भाग-ख शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-3 शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा		
पृष्ठभूमि	3.1	17
1लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	17
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढ़ांचा	3.3	17
वित्तीय रूपरेखा	3.4	18
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढ़ांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.5	20
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.6	20
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.7	21
अनुपालना हेतु लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	3.8	21
अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
लेखाकरण पद्धति	4.1	23
योजना समिति का गठन न करना	4.2	23
शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा	4.3	23
बजट आकलन	4.4	24
बैंक मिलान विवरणियां तैयार न करना	4.5	24
प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जाना	4.6	25
सामग्रियों का गैर-लेखाकरण	4.7	25

राजस्व	4.8	25
निधियों का अवरोधन	4.9	27
भवन कर तथा विद्युत प्रभारों की बकाया वसूली	4.10	27
आवास को खाली न किया जाना	4.11	28
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	4.12	29

परिशिष्ट		
विवरण	**परिशिष्ट संख्या**	**पृष्ठ संख्या**
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र-2015-16 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण	1	31
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	2	36
बैंक पासबुकों और रोकड़ बहियों के मध्य अंतर का मिलान न करना	3	38
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्रियों के गैर-लेखांकन का ब्यौरा	4	41
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की अवसूली का ब्यौरा	5	43
दुकानों के बकाया किराए का ब्यौरा	6	45
ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावर के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा	7	46
निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	8	48
निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	9	49
निधियों की अप्रयुक्ति के कारण 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	10	50
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	11	52
अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	12	53
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों को अवमुक्त न किये जाने तथा अवमुक्ति में विलम्ब के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	13	54
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भुगतानों की अवमुक्ति में विलम्ब का ब्यौरा	14	55
2012-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय की विवरणी	15	56
नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बंध में बकाया गृहकर का ब्यौरा	16	59
2013-16 की अवधि के दौरान दुकानों/बूथों/स्टालों से किराये के अनुदग्रहण का ब्यौरा	17	60
शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा	18	61

प्रस्तावना

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बद्ध विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2015-16 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की रूप-रेखा

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्य सुपुर्द किये जाने थे।

हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2015-16 के दौरान चार जिला परिषदों, 22 पंचायत समितियों तथा 129 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: (क) लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए तथा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर, (ख) पंजिकाओं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थायी अग्रिम पंजिका, अनुदान पंजिका, इत्यादि का अनुरक्षण न करना, (ग) स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखों का अनुचित अनुरक्षण, (घ) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य मिलान न करना, (ड़) प्रत्यक्ष सत्यापन का संचालन न करना (च) सामग्रियों को लेखांकित न करना।

84 ग्राम पंचायतों ने ₹ 35.21 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी। 27 पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों के आधार पर ₹ 48.65 लाख की राशि की वसूली करने में विफल रहीं। 40 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 16.47 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। चार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार/पारित किए बिना ₹ 3.79 करोड़ का व्यय किया गया था। 33 पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने के कारण ₹ 1.42 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। 25 पंचायती राज संस्थाओं में निमार्ण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.08 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। 111 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग से ₹ 34.58 करोड़ की निधियां निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त नहीं करने के कारण अव्ययित रहीं। तीन पंचायती राज संस्थाओं के पर्सनल लेजर खाते में लघु सिंचाई स्कीमों हेतु चिह्नित ₹ 4.54 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। आठ ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों पर एक जैसे/उन्हीं मजदूरों की नियुक्ति की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन मजदूरी भुगतानों को विलम्ब से जारी किए जाने से प्रभावित हुआ था।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूप-रेखा

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया। हिमाचल प्रदेश में, यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित किए गए थे, तथापि सम्बंधित निधियां तथा कर्मचारी अब भी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाने शेष थे। राज्य में दो नगरपालिकाएं, 30 नगर परिषदें तथा 22 नगर पंचायतें हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान एक नगरपालिका, 11 नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: (क) वार्षिक लेखे तैयार न करना, (ख) योजना समिति का गठन न करना, (ग) बजट आकलन तैयार न करना, (घ) रोकड़ एवं बैंक पास बुकों के मध्य मिलान न करना (घ) प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना और (ड़)सामग्रियों को लेखांकित न करना।

17 शहरी स्थानीय निकायों में, एक से 50 वर्षों से अधिक अवधि से ₹ 17.82 करोड़ का गृहकर बकाया था। 18 शहरी स्थानीय निकाय दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 5.43 करोड़ राशि के किराये की वसूली करने में विफल रहे। 10 शहरी स्थानीय निकायों की मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 24.43 लाख की राजस्व हानि हुई। दो नगर परिषदों की सफाई/स्वच्छता कर के संग्रहण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 18.38 लाख की राजस्व हानि हुई। नौ शहरी स्थानीय निकायों में 93 विकास कार्यों को आरम्भ नहीं किये जाने के कारण ₹ 4.63 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ था। विद्युतीय अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित हमीरपुर से ₹ 1.45 करोड़ राशि के भवन कर तथा विद्युत प्रभारों की वसूली बकाया थी। नगर परिषद परवाणू की किराया, विद्युत, जल तथा अन्य खर्चों के आधार पर प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 31.68 लाख के राजस्व की हानि हुई। 2011-12 से 2014-15 के दौरान नगर परिषद कुल्लू ने पूर्व अग्रिमों के समायोजन के बिना ₹ 26.09 लाख राशि के अस्थायी अग्रिम संस्वीकृत किए थे।

(अध्याय- 4)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और वित्त आयोगों के माध्यम से नियमित चुनावों तथा निधियों के प्रवाह सहित ग्रामीण स्तर पर स्व-शासित संस्थाओं का एक समान ढ़ांचा स्थापित किया। राज्यों से इन निकायों को निधियां, कार्य तथा कर्मचारियों का सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था ताकि इनको स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम किया जाये। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों सहित निधियां एवं कर्मचारी सुपुर्द किए जाने थे। पंचायती राज संस्थाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार करना एवं स्कीमें क्रियान्वित करना अपेक्षित था विशेषकर उन कार्यों के लिए जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया और इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार की। हिमाचल प्रदेश में 15 लाख विभागों से सम्बंधित कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए थे लेकिन पंचायती राज संस्थाओं[1] को इसके अनुरूप निधियां एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, पंचायती राज विभाग के लेखापरीक्षा संभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां और 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढ़ांचे को दिखाता है।

[1] पंचायती राज, निदेशक ने बताया (जुलाई 2016)।

संगठनात्मक ढांचा

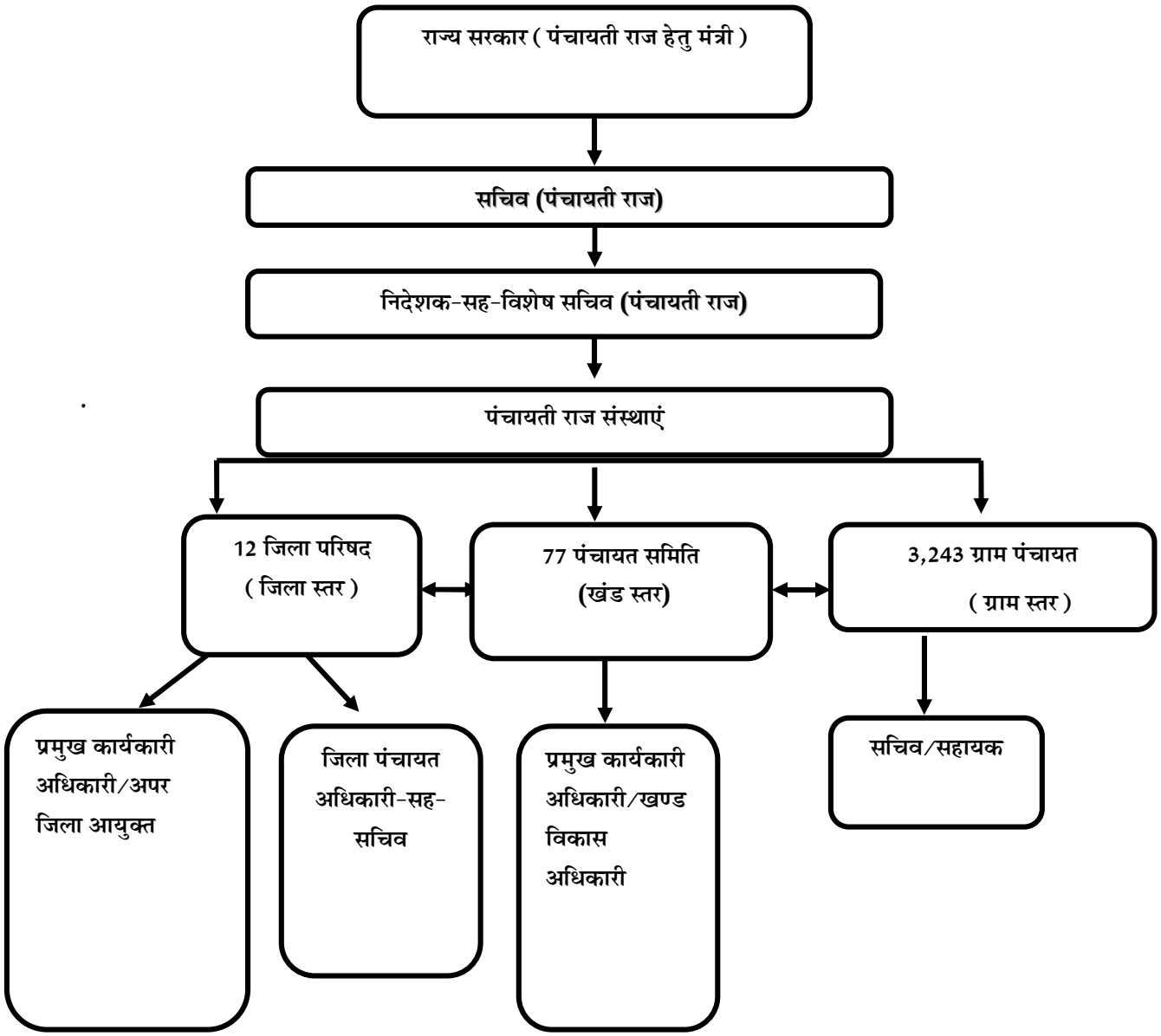

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्रमश: जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से जिला परिषदों की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है।

1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व **तालिका 1** में दिये गये हैं।

तालिका-1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवन आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना	जिला परिषद के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा आयोजना का उत्तरदायित्व लेती है।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता तथा ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	कार्यों जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य
ग्राम पंचायत	*प्रधान या उप-प्रधान*	निर्माण कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक निर्माण कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करती है और इसे सचिव को प्रस्तुत करती है।

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत प्रबंध

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ है। विभिन्न संवर्गों के 4,883 संस्वीकृत पदों के प्रति मार्च 2016 तक 4,501 कर्मी कार्यरत थे तथा 382 पद[2] रिक्त थे। वर्तमान में पंचायत चौकीदार के 200 पद रिक्त हैं। 2015-16 के दौरान, पंचायती राज विभाग द्वारा 1,513 पंचायत सचिवों/सहायकों को 33 बेसिक/कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिए गए थे।

1.4 वित्तीय रूपरेखा

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत और अभिरक्षण

विकास गतिविधियों और स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत का आधार राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और केन्द्र सरकार अनुदान हैं। पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं।

[2] कनिष्ठ अभियंता: 16, सहायक अभियंता: एक, पंचायत सहायक: 365

यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय व राज्य अनुदान प्रयुक्त किये जाते हैं, तथापि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई स्कीमों/निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण स्कीमों के लिए निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका-2: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत सरकार और राज्य सरकार मनरेगा निधियों का अपना-अपना अंश राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करवाते हैं जो राज्य लेखा से बाहर होता है। मण्डलीय उपायुक्त, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी इस राज्य रोजगार गारंटी निधि का अभिरक्षक होता है और राज्य रोजगार गारंटी निधि से सीधे लाभार्थी खाते में निधियों के हस्तांतरण को प्राधिकृत करता है।
2.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियां ग्रामीण विकास विभाग को अवमुक्त की जाती हैं। ग्रामीण विकास विभाग जिला योजनाओं, जिले में मांग की अधिकता, व्यय पैटर्न एवं शेष निधियों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निधियां अवमुक्त करता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खंड विकास अधिकारियों को निधियां अवमुक्त करते हैं जो आगे निधियां विभिन्न गतिविधियां आरम्भ करने हेतु ग्राम पंचायतों में वितरित करते हैं।
3.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका निधियन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में लागत को बांटकर किया जाता है। नोडल मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय)/ विभाग (भू-संसाधन विभाग) उन स्कीमों को छोड़कर जहां राज्यों के पास जलागम तथा अन्य स्कीमों के मध्य निधियों का आवंटन करने का अधिकार है निर्धारित मापदण्ड तथा राज्य के विगत निष्पादन (भौतिक एवं वित्तीय) अर्थात अव्ययित शेष, बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण परियोजनाओं में से पूर्ण परियोजनाओं की प्रतिशतता, इत्यादि, को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच परियोजनाओं हेतु बजटीय परिव्यय का आवंटन करता है। राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण निर्धारित मापदंड को ध्यान में रखकर जिलों को निधियों का आवंटन करते हैं।
4.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जोकि भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं जो इन निधियों के अभिरक्षक हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निधियां खंड विकास अधिकारियों को अवमुक्त करते हैं जो आगे उनकों ग्राम पंचायतों को अवमुक्त करते हैं। आगे ग्राम पंचायतें निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित करती हैं। दूसरी किस्त लिंटल स्तर तक निर्माण होने के बाद जारी की जाती है।
5.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो सभी राज्यों में कार्यान्वित है। परियोजना की कुल लागत केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में विभाजित की जाती है।

1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का ब्यौरा **तालिका-3** में दिया गया है।

तालिका-3: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्व-राजस्व	31.52	82.55	92.35	72.88	65.38
राज्य सरकार से अनुदान	72.88	70.40	81.55	142.91	162.31
केन्द्र सरकार से अनुदान	113.15	131.16	202.07	167.04	197.87
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए भारत सरकार के अनुदान	735.20	488.57	163.68	511.86	403.36
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	22.20	15.80	15.97	17.99	23.64
अन्य प्राप्तियां	1.00	1.00	0.67	0.25	0.42
योग	**975.95**	**789.48**	**556.29**	**912.93**	**852.98**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशालय द्वारा वर्ष 2012-13 से पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े अनुरक्षित नहीं किये गए। विभाग ने बताया (अप्रैल 2016) कि पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े संकलित नहीं किये गए हैं क्योंकि अब इनका संकलन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। अत: आंकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त किए गए हैं।

1.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण **तालिका 4** में दिया गया है।

तालिका-4: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अनुदानों से व्यय	187.02	202.52	284.29	244.74	307.57
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम पर व्यय	591.35	544.51	161.86	547.24	516.11
राज्य स्कीमों पर व्यय	21.49	16.26	14.31	17.65	19.02
योग	**799.86**	**763.29**	**460.46**	**809.63**	**842.70**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखाओं का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में करती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे, निदेशक-एवं-विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी-एवं-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकास खंडों के लेखाकार लेखे अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखे जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव, जिला परिषद द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लेखाओं के अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आदर्श लेखाकरण संरचना की अनुशंसा की थी । राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं

में आदर्श लेखाकरण संरचना के अनुसार लेखाओं के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (अगस्त 2012)। उप-निदेशक (पंचायती राज संस्था) ने बताया (जुलाई 2016) कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसा के आधार पर पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर लेखाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है।

1.6 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्धता तथा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताएं हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है तो पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हितसाधकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक होते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं से निर्धारित अभिलेख, पंजिकाएं, फार्म एवं लेखाओं का अनुरक्षण अपेक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई विसंगतियों पर **अध्याय-2** में चर्चा की गई है।

1.7 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा

यद्यपि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार दिया गया है, तथापि स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग स्टाफ की कमी के कारण ऐसी लेखापरीक्षा संचालित करने में अक्षम है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा(i) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अंतर्गत लेखापरीक्षा संभाग द्वारा संचालित की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका 5** में दी गई है।

तालिका-5: आंतरिक लेखापरीक्षाओं की स्थिति

संस्था का नाम	कुल इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु कार्य योजना में शामिल इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	गैर लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी का प्रतिशत
पंचायत समितियां	77	39	11	28	72
ग्राम पंचायत	3,243	1,622	1,067	555	34

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज संस्था।

यह भी पाया गया कि निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा संभाग ने किसी भी जिला परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी।

1.8 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं क्रिया विधि, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बंध में लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम-2007 की धारा 152-154

के अनुसार प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, पंचायती राज संस्था) से वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा योजनाएं प्राप्त की गई थी और इस कार्यालय में लेखापरीक्षा आयोजना की प्रक्रिया हेतु नोट की गई थीं।

प्राथमिक, लेखापरीक्षक (निदेशक, पंचायती राज संस्था) ने लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा पद्धति तथा प्रक्रियाओं का पालन किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 की धारा 80 में निर्धारित है।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संचालित 52 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा समीक्षा की गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया था और सुधार तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुशंसाएं की गई थीं। निम्नवत् अनुशंसाएं की गई थीं:

i. विगत तीन वर्षों की आय एवं व्यय को तालिका रूप में दर्शाया जाना।

ii. स्व-स्रोतों एवं अनुदानों से आय को पृथक रूप से दर्शाया जाना।

iii. लेखापरीक्षा में आपत्तियां उठाते समय परिच्छेदों में नियमों का संदर्भ दिया जाना।

iv. लेखापरीक्षिती इकाई को ऑडिट मेमों जारी किए जाते हैं और लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सचिव, ग्राम पंचायत का उत्तर भी सम्मिलित किया जाना।

प्रत्येक वर्ष पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ पंचायती राज संस्थाओं तथा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता से सम्बंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने हेतु बैठक की जाती है। 2015-16 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा तथा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता से सम्बंधित मामलों पर चर्चा करने हेतु 19 मई तथा 6 अगस्त 2015 को सचिव (पंचायती राज), निदेशक, पंचायती राज तथा पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ दो बैठकें की गई थीं।

प्रत्येक वर्ष, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफ को उनकी आवश्यकता के अनुसार दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 2015-16 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग से 18 प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा विषयों का चुनाव, निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रलेखण एवं रिपोर्टिंग के विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2015-16 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा 155 पंचायती राज संस्था इकाइयों की नमूना-जांच की गई थी और सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए थे। 2015-16 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा चार जिला परिषदों (12 में से), 22 पंचायत समितियों (77 में से) तथा 129 ग्राम पंचायतों (3,243 में से) के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी **(परिशिष्ट-1)**। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर **अध्याय-2** में चर्चा की गई है।

1.10 अनुपालना हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा परिच्छेद

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 14,448 परिच्छेदों से युक्त 2,159 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे। इनमें से मार्च 2016 तक अनुपालना हेतु लम्बित 2,154 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 14,251 परिच्छेदों को छोड़ते हुए पांच निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 197 परिच्छेदों का निपटान किया गया था। ब्यौरा **तालिका-6** में दिया गया है।

तालिका-6: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा परिच्छेद

(संख्या में)

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		जमा (वर्ष के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिचछेदों की संख्या)		योग		2014-15 के दौरान निपटान किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2011-12 तक	1,639	10,506	--	--	1,639	10,506	4	137	1,635	10,369
2.	2012-13	117	883	--	--	117	883	--	26	117	857
3.	2013-14	148	1,002	--	--	148	1,002	1	32	147	970
4.	2014-15	100	726	--	--	100	726	--	2	100	724
5.	2015-16	--	--	155	1,331	155	1,331	--	--	155	1,331
	योग	**2,004**	**13,117**	**155**	**1,331**	**2,159**	**14,448**	**5**	**197**	**2,154**	**14,251**

परिच्छेदों के निपटान के मामले पर 19 मई तथा 6 अगस्त, 2015 को निदेशक (पंचायती राज संस्था) के साथ सम्पन बैठक में चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के निपटान हेतु पत्राचार भी किया जा रहा था लेकिन इसके बावजूद बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना के प्रति अपर्याप्त कार्रवाई को इंगित करती है।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

2015-16 में संचालित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 लेखा-पद्धति

2.1.1 लेखा-पद्धति में पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए और पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर

समस्त 12 जिला परिषदों ने ऑनलाइन वाउचर प्रविष्टियां आरम्भ कर दी हैं जबकि 77 में से 74 पंचायत समितियां (पांगी, निचार तथा स्पिति को छोड़कर) और 3,243 में से 2,127 ग्राम पंचायतें अपने लेखा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अनुरक्षित कर रही हैं। तथापि, मात्र 306 ग्राम पंचायतें (14 *प्रतिशत*) नेटवर्क संयोजकता (कनेक्टिविटी) की कमी के कारण अपनी बहियों को बंद करने में सक्षम हैं।

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष 2015-16 हेतु नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़ों से भिन्न थे। आंकड़ों में बड़ा अंतर, जैसा कि नीचे **तालिका-7** में दर्शाया गया है, अनुरक्षित की जा रही वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।

तालिका-7: 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए तथा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर

(₹ लाख में)

ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आंकड़े		पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए आंकड़े	
			प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
संगडाह	संगडाह	सिरमौर	21.34	20.87	16.96	19.72
प्रीणि	नग्गर	कुल्लू	60.43	37.09	25.15	17.35
धाउगी	बंजार	कुल्लू	211.39	172.33	173.26	149.05
मेंहदी	करसोग	मण्डी	24.55	15.42	25.09	10.67
त्रोह	बल्ह	मण्डी	66.01	35.44	27.00	27.91
कंगल	नारकंडा	शिमला	53.62	26.83	24.46	1.05
योग			**437.34**	**307.98**	**291.92**	**225.75**

स्रोत: नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े तथा लेखापरीक्षा द्वारा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट से समेकित।

2.1.2 पंजिकाओं का गैर-अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 31 अनुबद्ध करता है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्त्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिकाओं, प्रपत्रों, इत्यादि, जैसा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 में ब्यौरा दिया गया है, का अनुरक्षण करेगी।

यह पाया गया था कि तीन पंचायत समितियों तथा 63 ग्राम पंचायतों (नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों का 49 *प्रतिशत*) में 2015-16 के दौरान महत्त्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थायी अग्रिम पंजिका, अनुदान पंजिका, चैक निर्गत एवं प्राप्ति पंजिका, अनुरक्षित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-2)**। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में इन अभिलेखों के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (मई 2015-नवम्बर 2015)।

2.1.3 स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखाओं का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्व-संसाधनों से आय (लेखा 'क') तथा अनुदान, विकास कार्यों अथवा विशेष उद्देश्यों हेतु आवंटित निधियों, ऋणों करों/शुल्कों/उपकरों के हिस्सों से आय और अन्य आय (लेखा 'ख') के पृथक लेखा का अनुरक्षण करेंगे।

यह पाया गया कि 22 ग्राम पंचायतों[3] में लेखाओं का अनुरक्षण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया था और समस्त लेन-देन एक लेखा के माध्यम से किया गया था जोकि उपर्युक्त नियमावली का उल्लंघन था जिसके कारण स्व-संसाधनों तथा प्राप्त अनुदानों/ऋणों से आय के आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में निर्धारित प्रारूप में पृथक लेखाओं के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (जुलाई 2015-नवम्बर 2015)।

2.1.4 बैंक पुनर्मिलान विवरणियां तैयार करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15 (10)(ख) प्रावधान करता है कि प्रत्येक मास रोकड़ बही तथ बैंक खातों के शेष का पुनर्मिलान किया जाए। किसी भी अंतर की रोकड़ बही में फुटनोट में कारणों सहित व्याख्या की जाएगी।

यह पाया गया कि 41 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2014-15 के अंत में रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के शेष के मध्य ₹ 3.20 करोड़ के अंतर (**परिशिष्ट-3**) का पुनर्मिलान नहीं किया गया था। बैंक पुनर्मिलान के अभाव में इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि शीघ्र ही अंतरों का पुनर्मिलान किया जायेगा।

2.1.5 प्रत्यक्ष सत्यापन का संचालन न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान तथा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा छः महीनों में न्यूनतम एक बार तथा निरपवाद रूप से प्रत्येक वर्ष अप्रैल में समस्त भंडारगृहों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन का परिणाम लिखित में दर्ज किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन के दौरान स्टॉक पंजिका में प्रत्येक वस्तु के सामने उसकी स्थिति इंगित की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 19 ग्राम पंचायतों[4] में भंडारगृह/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। परिणामतः लेखापरीक्षा में भंडारगृह/भंडार की प्रत्यक्ष विद्यमानता को सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रत्युत्तर में सम्बंधित कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2015-नवम्बर 2015) कि शीघ्र ही भंडारगृहों/भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन का संचालन किया जाएगा।

2.1.6 वस्तुओं का गैर-लेखांकन

57 ग्राम पंचायतों द्वारा स्टॉक पंजिका में ₹ 3.43 करोड़ की वस्तुओं का लेखांकन नहीं किया गया था

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 69 के अंतर्गत समस्त भंडार सुपुर्दगी के समय जांच, गणना, माप अथवा तौल, जैसा भी मामला हो, हेतु अपेक्षित हैं और तुरंत स्टॉक पंजिका में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत भंडार गृहों के प्रभारी कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिन की प्रविष्टियों के अंत पर एक प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें वर्णित होगा कि भंडार उचित

[3] पंजावर, टब्बा, देहला अप्पर, हटवाड, मिश्रवाला, काला अम्ब, भटांवाली, भगांनी, माजरा, सतौन, पातलियां, ठेहड़, टिक्कर, अढ़ाल, थुरल, घाटी, सौकणी दा कोट, तियारा, सुलयाली, सिहोरपाई, बणी, रे।

[4] बाथू, देहला अप्पर, देहला लोअर, धुंधला, पुंदर, सुन्हाणी, फतोह, सियांज, स्थाना, ढलियारा, बणी, तियारा, जडेरा, कुम्मी, झाकड़ी, सराहन, तरांडा, ज्यूरी तथा महादेव।

स्थिति में तथा विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। यदि भंडार अधिक पाए जाते हैं तो इसे अतिरिक्त प्राप्ति के रूप में इंगित किया जाना चाहिए और कमियां, यदि कोई हैं, लाल स्याही में इंगित की जानी चाहिए। आगे, उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 70 अनुबद्ध करता है कि भंडार गृहों की सामग्रियां उचित मांग पत्रों के प्रति जारी की जाएंगी।

57 ग्राम पंचायतों में ₹ 3.43 करोड़ की लागत पर खरीदी गई भंडार गृहों की मदें जैसे स्टील, लकड़ी, फर्निचर, हार्डवेयर मदें, इत्यादि स्टॉक पंजिकाओं में लेखांकित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-4)**। इन भंडारों के लेखांकन न होने की स्थिति में चोरी/हानि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह ग्राम पंचायतों के पक्ष पर खराब अभिलेख अनुरक्षण को इंगित करता है। प्रत्युत्तर में सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि स्टॉक पंजिकाओं में भंडारों की प्रविष्टियां की जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा भंडार गृह अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

2.2 राजस्व

2.2.1 गृहकर की अवसूली

84 ग्राम पंचायतों ने ₹ 35.21 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 33 प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढ़ंग से, अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 84 ग्राम पंचायतों में 2014-15 की अवधि हेतु मार्च 2016 तक ₹ 35.21 लाख राशि के गृह कर की वसूली नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-5)**। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 के अनुरूप गृहकर का भुगतान न करने के लिए चूककर्त्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2015-अक्तूबर 2015) कि बकाया गृहकर की वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। उत्तर, ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रभावी निगरानी के द्योतक हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का गैर-संग्रहण/हानि हो सकती है।

2.2.2 बकाया किराया

27 पंचायती राज संस्थाएं दुकानों से देय ₹48.65 लाख राशि के किराये की वसूली करने में विफल रही।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानों का अनुरक्षण कर रही थी और ये मासिक किराया आधार पर किराये पर दी गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 27 पंचायती राज संस्थाओं में मार्च 2015 तक 328 दुकानों से 1995-96 से 2014-15 तक किराये के रूप में ₹ 48.65 लाख राशि बकाया थी **(परिशिष्ट-6)**। इससे इंगित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दुकान किराये के समयबद्ध संग्रहण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि चूककर्त्ताओं को बकाया किराया जमा करवाने हेतु नोटिस भेज दिए गए थे।

2.2.3 मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन हेतु शुल्क वसूल न किया जाना

40 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 16.47 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 4,000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क का उद्ग्रहण करने तथा प्रति टॉवर ₹ 2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है (नवम्बर 2006)।

40 ग्राम पंचायतों में, 2003-15 के दौरान 127 मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गए थे, लेकिन सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से मार्च 2015 तक ₹ 16.47 लाख राशि के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी (**परिशिष्ट-7**)। इससे ग्राम पंचायतें राजस्व में उनको देय हिस्सेदारी से वंचित रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2015-नवम्बर 2015) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

2.2.4 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार किये बिना किया गया व्यय

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 38 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र-12 में निर्धारित प्रारूप में अपने प्राप्ति एवं व्यय का एक वार्षिक बजट आकलन तैयार करेगी। बजट पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी द्वारा विगत वर्ष के 31 दिसम्बर तक तैयार किया जाएगा तथा समिति की वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना समिति को संवीक्षा तथा परिवर्तन हेतु, यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जाएगा। संवीक्षा के बाद उक्त समिति इसे फरवरी में या इससे पहले पंचायत समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी। बजट पंचायत समिति द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियम 45 में प्रावधान है कि बजट प्रावधान के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान पंचायत समिति शिलाई ने बजट आकलन तैयार एवं पारित किये बिना ₹ 2.74 करोड़ का व्यय किया था। कार्यकारी अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2015) कि बजट आकलन के बिना किये गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी से विनियमित करवा लिया जाएगा।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत फार्म-11 में निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करेगी। बजट प्राक्कलन ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा विगत वर्ष के 15 अक्तूबर तक तैयार किए जाएंगे तथा संवीक्षा हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किए जाएंगे और इसे ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन ग्राम पंचायतों[5] ने 2011-12 एवं 2014-15 के दौरान बजट प्राक्कलन तैयार तथा पारित किए बिना ₹ 1.05 करोड़ का व्यय किया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त 2015-अक्तूबर 2015) कि बजट प्राक्कलन के बिना किये गये व्यय को ग्राम सभा में विनियमित किया जाएगा।

2.3 निधियों का अवरोधन

2.3.1 निर्माण कार्य आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ₹ 1.42 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन पंचायत समितियों तथा 30 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-8)** द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 175 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 1.42 करोड़ प्राप्त किये गये थे (2009-15)। तथापि, मार्च 2015 तक इन निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अत:, विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ और लाभार्थी भी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जुलाई 2015-नवम्बर 2015) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं को पूरा न करने, भूमि की अनुपलब्धता, भूमि विवादों तथा मुकदमेबाजी के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्राप्त करने तथा तद्नुसार निधियां अवमुक्त किए जाने से पहले सुलझा लिए जाने चाहिए थे।

[5] करसोग: ₹ 7.62 लाख, देहला लोअर: ₹ 62.56 लाख तथा पंजावर: ₹ 35.10 लाख

2.3.2 निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण अप्रयुक्त निधियां

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.08 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं।

25 नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं में, 2008-15 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 143 निर्माण कार्यों (तीन से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूर्णता हेतु बद्ध) के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹ 2.27 करोड़ राशि के प्रति ₹ 1.19 करोड़ का व्यय हुआ था और ₹ 1.08 करोड़ (48 *प्रतिशत*) की शेष राशि मार्च 2016 तक अप्रयुक्त थी **(परिशिष्ट-9)**। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि बर्फ वाले क्षेत्र में सीमित कार्य अवधि तथा श्रमिकों, सीमेंट एवं अन्य निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक से आठ वर्षों के बीत जाने के बाद भी अपूर्ण थे।

2.3.3 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

111 पंचायती राज संस्थाओं/पंचायत समितियों में निर्माण कार्यों को आरम्भ न किये जाने, अपूर्ण निर्माण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त न किये जाने के आधार पर 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 34.58 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं।

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए अनुदान राज्य के खाते में जमा करवाए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए थे और इसके प्रति अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) नमूना जांच की गई दो पंचायत समितियों तथा 73 ग्राम पंचायतों **(परिशिष्ट-10)** में 2010-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ₹10.40 करोड़ प्राप्त किए गए थे। इन पंचायती राज संस्थाओं में उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 7.21 करोड़ राशि की निधियों का उपयोग किया गया था और ₹ 3.19 करोड़ (31 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रहे। सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जुलाई 2015-नवम्बर 2015) कि शीघ्र ही उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जाएगा।

(ii) आगे यह पाया गया कि 16 पंचायती राज संस्थाओं (**परिशिष्ट-11**) में, 2011-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3.46 करोड़ की आकलित लागत वाले 429 विकास कार्य मार्च 2015 तक निष्पादन हेतु आरम्भ नहीं किए गए थे। नवम्बर 2015 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध पड़ी थी। सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अगस्त 2015-नवम्बर 2015) कि भूमि विवादों, न्यायिक मामलों तथा संहिताबद्ध औपचारिकताओं को पूरा न किये जाने के कारण निर्माण कार्य निष्पादनार्थ आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ऐसे मामले निर्माण कार्यों की संस्वीकृति तथा निधियों की अवमुक्ति से पहले सुलझाए जाने चाहिए थे।

(iii) नमूना जांच की गई 10 पंचायती राज संस्थाओं में, 2010-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 2.66 करोड़ की राशि के प्रति मार्च 2016 तक ₹ 1.81 करोड़ का व्यय हुआ था और ₹ 0.85 करोड़ (32 *प्रतिशत*) की शेष राशि अप्रयुक्त थी (**परिशिष्ट-12**)। सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2015-नवम्बर 2015) कि अन्य स्कीमों में कार्यों की अधिकता और मजदूरों, सीमेंट एवं अन्य निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था।

(iv) 2011-15 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नमूना जांच की गई 10 पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदें एवं पंचायत समितियां) द्वारा प्राप्त किए गए ₹ 63.76 करोड़ (**परिशिष्ट-13**) में से ₹ 36.68 करोड़ आगे ग्राम पंचायतों को अवमुक्त किए गए थे और ₹ 27.09 करोड़ इन पंचायती राज संस्थाओं के पास अप्रयुक्त/अवमुक्ति रहित रहे। सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि जिला परिषद सदस्यों से शैल्फ/आकलनों की गैर-प्राप्ति के कारण निधियां अवमुक्त नहीं की जा सकी थीं और निधियां शीघ्र ही अवमुक्त की जाएगी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों की उपक्रमात्मक मदें यथासमय पूरी कर ली जानी चाहिए थीं।

2.3.4 पर्सनल लेज़र खाते में निधियों का अवरोधन

लघु सिंचाई स्कीमों हेतु चिह्नित ₹ 4.54 करोड़ की निधियां पर्सनल लेज़र खातों में अप्रयुक्त रहीं।

पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं जलापूर्ति स्कीमों के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों को जमा करवाने के लिए पर्सनल लेज़र खातों का अनुरक्षण कर रही थीं। संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक मास के भीतर आहरित की जानी थी और एक वर्ष के भीतर इनका उपयोग किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011-15 के दौरान तीन पंचायत समितियों[6] ने स्कीमों के निष्पादन हेतु ₹ 4.54 करोड़ प्राप्त किए थे। तथापि, लघु सिंचाई तथा जलापूर्ति निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं हुआ था। अत: निधियों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरूप पर्सनल लेजर खातों में निधियों का अनावश्यक अवरोधन होने के अतिरिक्त लाभार्थी स्कीमों के अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।

सम्बन्धित पंचायत समितियों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर 2015-नवम्बर 2015) कि शीघ्र ही अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु निधि का प्रयोग किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पर्सनल लेज़र खातों में जमा निधियों का संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए थी।

2.4 संदेहास्पद नियुक्ति तथा मजदूरी का दो बार भुगतान

आठ ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों पर एक जैसे मजदूरों की तैनाती दर्शाई।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई आठ ग्राम पंचायतों[7] में 2010-15 के दौरान एक ही अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों तथा विभिन्न मस्टर रोलों पर एक जैसे मजदूरों की तैनाती दर्शाई, जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद तैनाती हुई तथा ₹ 0.63 लाख की मजदूरी का दो बार भुगतान हुआ। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2015-अक्तूबर 2015) कि मामले की जांच की जाएगी और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

2.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा स्कीम) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब

19 ग्राम पंचायतों में पांच दिनों से तीन वर्षों से अधिक अवधि तक के लिए मजदूरों को ₹ 1.14 करोड़ राशि की मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब हुआ।

मनरेगा स्कीम के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 8.3.1 के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना था और किसी भी मामले में कार्य सम्पन्न होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों तक भुगतान किया जाना था। 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में 'मजदूरियों का भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार मजदूर क्षतिपूर्ति हेतु पात्र थे।

---

6 नूरपूर; ₹ 51.59 लाख, भवारना; ₹ 400.55 लाख तथा नादौन: ₹ 1.85 लाख।

7 वशिष्ट: ₹ 0.03 लाख, नासोगी: ₹ 0.04 लाख, कटौला: ₹ 0.03 लाख, डडौर: ₹ 0.06 लाख, चैली: ₹ 0.03 लाख, शाहपुर: ₹ 0.41 लाख, जियुंता: ₹ 0.01 लाख तथा समलेऊ: ₹ 0.02 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 ग्राम पंचायतों ने मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत पांच दिनों से तीन वर्षों से अधिक अवधि तक के विलम्ब के पश्चात् मजदूरों को ₹ 1.14 करोड़ का भुगतान किया था (**परिशिष्ट-14**)। तथापि मजदूरों को विलम्बित भुगतान हेतु किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया था। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2015-अक्तूबर 2015) कि खण्ड विकास अधिकारियों से निधियों की प्राप्ति में देरी के कारण मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा विलम्बित भुगतानों के लिए मजदूरों को देय क्षतिपूर्ति के गैर-भुगतान हेतु कोई कारण नहीं दिए गए थे।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 पृष्ठभूमि

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों सहित निधियों तथा कर्मचारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित (अगस्त 1994) किये गये थे (पांच सेवाओं को छोड़कर); तथापि शहरी स्थानीय निकायों को अब भी सम्बन्धित निधियां तथा कर्मचारी हस्तांतरित किए जाने शेष थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 अधिनियमित किया था।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुपुर्द की थी (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय-4 में शामिल किये गये हैं।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में दो नगर निगम, 30 नगर परिषदें तथा 22 नगर पंचायतें है।

शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से सरकार के अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग) के पास है। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-

शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक ढांचा

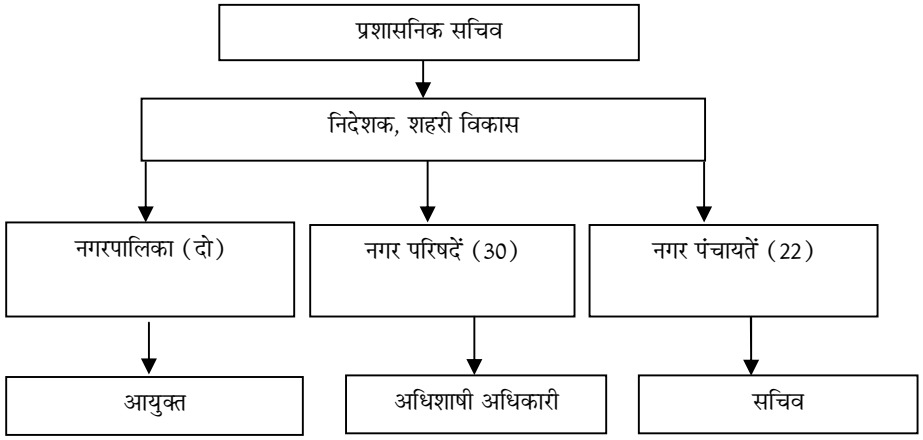

चयनित निकाय

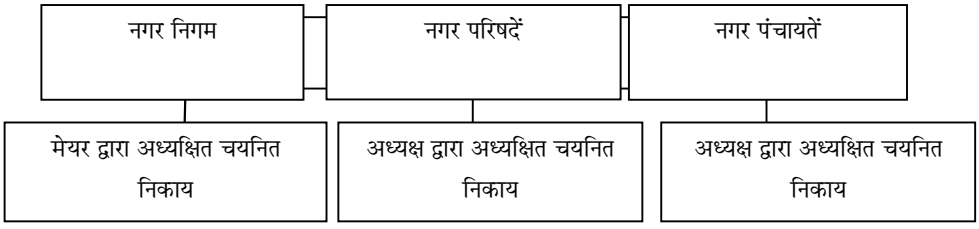

3.3.1 स्थायी समितियां

वित्तीय मामलों तथा स्कीमों के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का वर्णन **तालिका 8** में दिया गया है।

तालिका-8: स्थाई समितियों के नियम एवं उत्तरदायित्व

स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समिति की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व
सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	शिक्षा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

3.3.2 स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु परियोजना अनुभाग में एक परियोजना अधिकारी तथा दो सांख्यिकीय सहायकों की तैनाती की गई है। शहरी स्थानीय निकायों में 3,557 संस्वीकृत पदों में से विभिन्न श्रेणियों के 678 पद (19 *प्रतिशत*) रिक्त पड़े थे और तीन शहरी स्थानीय निकायों[8] में 191 कर्मचारी अधिक थे।

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1. शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यत: भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दिये गए अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आमदनी के हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदानों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किराया, शुल्कों, इत्यादि से भी राजस्व जुटाया जाता है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां बैंक में रखी जाती हैं।

जहां भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान प्रयुक्त किए जाते हैं, वहीं शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्तियां

[8] नगर निगम शिमला: 181, नगर पंचायत चौवाडी: तीन तथा नगर पंचायत जोगिन्द्र नगर: सात।

प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं **तालिका 9** में दी गई हैं:

तालिका-9: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण स्कीमों में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	केन्द्र व राज्य सरकार के मध्य निधियों की हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में है।
2.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम	केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 *प्रतिशत* का बंदोबस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्व स्रोतों से किया जाना है।
3.	जिर्णोधार एवं शहरी रूपांतर हेतु अटल मिशन	हिमाचल प्रदेश में स्कीमों का निधियन पैटर्न केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है।
4.	राजीव आवास योजना	एक विशेष श्रेणी राज्य होने से हिमाचल प्रदेश में निधियन भारत सरकार, राज्य सरकार तथा आवास के लिए लाभार्थी संघटक तथा भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अवसंरचना हेतु शहरी स्थानीय निकाय संघटक द्वारा 80:10:10 के अनुपात में किया गया है।

3.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संघटक

शहरी स्थानीय निकायों के 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए संसाधनों का वर्णन **तालिका-10** में दिया गया है।

तालिका-10: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्व राजस्व	58.78	44.23	50.10	119.38	153.14
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण (वित्त आयोग हस्तांतरण)	24.30	30.97	46.88	22.52	24.55
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण (राज्य सरकार वित्त आयोग हस्तांतरण)	51.88	57.07	68.08	72.40	85.51
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए भारत सरकार से अनुदान	25.83	3.90	149.16	91.64	159.62
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार से अनुदान	109.90	78.01	8.84	34.55	67.15
योग	**270.69**	**214.18**	**323.06**	**340.49**	**489.97**

3.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियां एवं संघटक

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग **तालिका 11** में दिए गये हैं:

तालिका-11: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्व राजस्व से व्यय	59.14	31.04	19.35	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण)	24.30	30.97	35.39	22.52	24.55
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	51.88	57.07	68.08	72.40	85.51
राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों से व्यय	110.45	78.01	169.49	126.19	226.77
योग	**245.77**	**197.09**	**292.31**	**221.11**	**336.83**

स्रोत: निदेशक, शहरी विकास

शहरी विकास निदेशालय ने वर्ष 2014-15 से आगे स्व राजस्व से व्यय आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया था। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक ने उपर्युक्त आंकड़ों के गैर-अनुरक्षण का कारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से आय एवं व्यय आंकड़ों के गैर प्रस्तुतीकरण को बताया (मार्च 2017)। इससे इंगित हुआ कि विभाग उपर्युक्त अवधि के दौरान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय डाटा के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

3.5 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढ़ांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरकता और गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालनीय है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को उनके आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों, निर्णय क्षमता तथा हित साधकों के प्रति उत्तरदायित्व को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गयी कमजोरियों/कमियों का उल्लेख अध्याय-4 में किया गया है।

3.6 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा लेखा एवं लेखापरीक्षा, 2007 पर विनियमों की धाराओं 152-154 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की 20(1) के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुपुर्द की गई है।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) से वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षा योजना प्राप्त की गई थी और इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना हेतु नोट की गई थी।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 164 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया था।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से छः निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा समीक्षा की गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच की गई थी और सुधार एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सिफारिशें की गई थीं। निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय को निम्नवत सिफारिशें की गई थीं।

(i) विगत तीन वर्षों की आय एवं व्यय तालिकाबद्ध रूप में दर्शाया जाए।

(ii) लेखापरीक्षा में आपत्तियां उठाते समय परिच्छेदों में नियमों का संदर्भ दिया जाए।

(iii) लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा मेमों जारी किए जाएं और लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों/अधिशाषी अधिकारी का उत्तर सम्मिलित किया जाए।

प्रत्येक वर्ष स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा स्टाफको उनकी आवश्यकता/उनके द्वारा सुझाए गए विषयों के अनुसार दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। 2015-16 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के स्टाफ से 18 प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा विषयों के चयन, निष्पादन लेखापरीक्षा, प्रलेखण तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया था।

3.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2015-16 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 19 शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों की नमूना जांच की गई थी और सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किए गए थे। 2015-16 के दौरान नगर निगम शिमला, 11 नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी (**परिशिष्ट-1**) और उसके प्रति महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में सम्मिलित किए गए हैं।

3.8 अनुपालना हेतु लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

शहरी स्थानीय निकायों से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों में विशेष रूप से दर्शाए गई कमियों/चुकों को सुधारना और अभ्युक्तियों के निपटान हेतु अपनी अनुपालना प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2016 तक जारी किए गए, निपटाए गए तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों का ब्यौरा **तालिका-12** में दिया गया है।

तालिका-12: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की स्थिति

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2015 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		2015-16 के दौरान वृद्धि		कुल		2015-16 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2011-12 तक	113	743	-	-	113	743	1	18	112	725
2.	2012-13	14	139	-	-	14	139	-	35	14	104
3.	2013-14	17	218	-	-	17	218	-	46	17	172
4.	2014-15	14	144	-	-	14	144	-	5	14	139
5.	2015-16	-	-	16	172	16	172	-	-	16	172
	योग	158	1,244	16	172	174	1,416	1	104	173	1,312

निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के निपटान के लिए पत्राचार भी किया जा रहा था लेकिन इसके बावजूद निपटान नहीं किए गए परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा बकाया परिच्छेदों का बड़ी संख्या में होना चिंता का विषय है।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

2015-16 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1 लेखाकरण पद्धति

निदेशक, शहरी विकास द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को लेखाकरण की दो बार प्रविष्ट पद्धति अपनाने का निर्देश दिया गया था (अप्रैल 2009)। 2015-16 के दौरान नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपने लेखे दो बार प्रविष्टि पद्धति के अनुसार अनुरक्षित किए हैं।

4.1.1 लेखाओं को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 एवं 253 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाएंगे। नगरपालिका वित्त वर्ष की समाप्ति से अधिकतम तीन मास की अवधि के भीतर उस वर्ष हेतु लेखे तैयार करेगी।

दो शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषद, सुन्दरनगर तथा नगर पंचायत, मेहतपुर) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद, सुन्दरनगर द्वारा विगत सात वर्षों और नगर पंचायत, मेहतपुर द्वारा वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए वार्षिक लेखा तैयार नहीं किए गए थे। सचिव/अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जुलाई 2015-नवम्बर 2015) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएंगे।

4.2 योजना समिति का गठन न करना

नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 49(1) के अनुसार नगरपालिका एक वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति का गठन करेगी जिसमें नगरपालिका के न्यूनतम तीन चयनित सदस्य होंगे। धारा 50(2) में आगे प्रावधान है कि वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति नगरपालिका के वित्त, बजट निर्माण, राजस्व की वृद्धि हेतु प्रस्तावों की संवीक्षा, प्राप्तियों एवं व्यय विवरणियों की जांच, नगरपालिका के वित्तों को प्रभावित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर विचार, नगरपालिका के राजस्व एवं व्यय की सामान्य निगरानी, सहभागिता, लघु बचत स्कीमों तथा नगरपालिका क्षेत्र के विकास से सम्बंधित किसी अन्य कार्य से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2016 तक पांच नगरपालिकाओं[9] ने वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति का गठन किया था लेकिन इन समितियों की कोई भी बैठक नहीं हुई थी, जबकि चार नगरपालिकाओं[10] ने उक्त समितियों का गठन भी नहीं किया था। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारियों ने बताया कि नगरपालिका की मासिक बैठकों में समस्त मामलों पर चर्चा कर लिए जाने के कारण वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं के प्रभावी ढंग से काम करने हेतु वित्त, लेखापरीक्षा एवं योजना समिति की समयबद्ध बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

4.3 शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 161 (3) तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 (1) के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों की एक पृथक एवं स्वतंत्र अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी (फरवरी 2008) जिसके अनुसार निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के संचालन हेतु एक वार्षिक योजना तैयार करनी थी। वर्ष 2015-16 के लिए

9 नगर परिषद: ज्वालामुखी, पालमपुर, पांवटा साहिब, परवाणू तथा सुंदरनगर।

10 नगर परिषद: बद्दी, कुल्लू, श्री नैना देवी जी तथा रोहडू।

लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 27 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2016 तक 21 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की गई थी। अपर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने बताया (दिसम्बर 2016) कि वास्तव में 2015-16 के दौरान शेष शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा आरम्भ की गई थी लेकिन कार्य की अधिकता के कारण 31 मार्च 2016 तक पूर्ण नहीं की जा सकी थी।

4.4 बजट आकलन

4.4.1 अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित फार्म में तैयार किए जाने होते हैं और समिति के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित किए जाने के पश्चात इसे अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 2012-15 के दौरान नमूना जांच की गई नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्ष-वार स्थिति **तालिका-13** में दी गई है।

तालिका-13: बजट आकलन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	बचत का *प्रतिशत*
2012-13	217.26	140.20	(-) 77.06	35
2013-14	304.80	144.63	(-) 160.17	53
2014-15	398.77	197.68	(-) 201.09	50

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-15** में दी गई है।

तालिका-13 से स्पष्ट है कि बजट आकलन व्यवहारिक रूप में तैयार नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 2012-15 के दौरान 35 से 53 *प्रतिशत* तक नियमित बचतें हुई। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2017) कि शहरी स्थानीय निकायों को भविष्य में अपने बजट व्यवहारिक रूप में तैयार करने हेतु निदेश दिए जा रहे हैं।

4.4.2 बजट आकलन तैयार न करना

नगर परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 249 (1) से (5) तथा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 80 (1) से (3) में प्रावधान है कि नगरपालिका प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में आगामी वर्ष के अपेक्षित आय व व्यय आकलन सहित बजट आकलन तैयार करेगी। समिति सदन में पारित बजट आकलन प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले उपायुक्त के माध्यम से अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नगर परिषदों[11] ने 2013-16 की अवधि के लिए बजट आकलन तैयार नहीं किए थे। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (मई-जून 2016) कि स्टाफ की कमी तथा प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण बजट आकलन तैयार नहीं किए जा सके थे।

4.5 बैंक मिलान विवरणियां तैयार न करना

राज्य नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 19 (2) के अनुसार प्रत्येक दिन अधिशाषी अधिकारी द्वारा सामान्य रोकड़ बही मदवार जांची, बंद और हस्ताक्षरित की जाएगी। महीने के अंत पर इसे बैंक पासबुक के साथ मिलाया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय की प्रत्येक मद की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के साथ जांच की जाएगी और अंतरों का सामान्य रोकड़ बही में लेखाबद्ध तथा उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

[11] नगर परिषद: बद्दी (2013-15) तथा नगर परिषद: कुल्लू (2013-16)।

नगर परिषद, सुन्दरनगर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुकों के मध्य ₹ 0.82 करोड़ का अंतर था जिसका मार्च 2015 तक नगर परिषद द्वारा मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किये जाने से लेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जुलाई 2015) कि भविष्य में अंतरों का मिलान किया जाएगा।

4.6 प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली के अध्याय 12 का परिच्छेद 12.43 (ग) अनुबद्ध करता है कि वित्त वर्ष के अंत पर भंडारगृह प्रभारी, लेखा विभाग तथा नगर निगम/नगर पंचायत का अधिशाषी अधिकारी/सचिव अथवा प्राधिकृत कर्मचारी भंडारगृह में रखे भंडार का सत्यापन करेगा तथा इसका बही अभिलेखों में दर्ज भंडार के साथ मिलान करेगा और किसी भी अंतर के मामले में निर्धारित उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (नगर परिषद बिलासपुर, रामपुर तथा हमीरपुर) में भंडारगृह/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। परिणामत: लेखापरीक्षा में भंडारगृह/भंडार की प्रत्यक्ष विद्यमानता को सत्यापित नहीं किया जा सकता था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2015-अगस्त 2015) कि शीघ्र ही भंडारगृहों/भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा।

4.7 सामग्रियों का गैर-लेखाकरण

नगर पंचायत, सरकाघाट द्वारा ₹ 1.95 लाख की सामग्री स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खंड-1 का नियम 15.4(क) प्रावधान करता है कि जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी जिसे देखना चाहिए कि मात्रा सही है और गुणवत्ता उत्तम है, द्वारा समस्त प्राप्त की गई सामग्री की डिलिवरी लेते समय जांच, गणना, माप, तोल, जैसा भी मामला हो, किया जाना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति का एक प्रमाणपत्र अभिलिखित किया जाना है और यथोचित पंजिका में प्रविष्टि की जानी है।

नगर पंचायत, सरकाघाट के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 1.95 लाख की लागत पर खरीदी गई भंडार की मदें जैसे विद्युतीय उपकरण, पॉली विनयल क्लोराइड (पी0वी0सी0) मदें, ट्यूब स्टार्टर/चोक, इत्यादि सम्बंधित स्टोर/स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी। अत: चोरी/हानि की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह नगर पंचायत के पक्ष पर खराब अभिलेख अनुरक्षण का द्योतक भी था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित नगर पंचायत के सचिव ने बताया (नवम्बर 2015) कि स्टॉक पंजिकाओं में सम्बंधित प्रविष्टियां की जाएंगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित नगर पंचायत द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

4.8 राजस्व

4.8.1 बकाया गृह कर

निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण 17 शहरी स्थानीय निकायों में एक से 50 वर्षों से अधिक अवधि से गृहकर के आधार पर ₹ 17.82 करोड़ का राजस्व बकाया था।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 का नियम 258(2) अनुबद्ध करता है कि नगरपालिका को देय राशि का 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए था जिसमें विफल रहने पर राशि की, समस्त लागत सहित, चूककर्त्ता की सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 01 अप्रैल 2013 तक 17 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 20.96 करोड़ का गृहकर बकाया था। 2013-16 की अवधि के दौरान ₹ 52.45 करोड़ के गृहकर की मांग उठाई गई थी (**परिशिष्ट-16**)। तथापि उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 55.55 करोड़ की वसूली की गई थी और ₹ 0.04 करोड़ की छूट भी दी गई थी,

परिणामत: मार्च 2016 तक ₹ 17.82 करोड़ का शेष बकाया था। वसूली की गति धीमी थी जिससे उपर्युक्त सीमा तक शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित हुई, जिसको अन्य विकासात्मक गतिविधियों हेतु प्रयुक्त किया जा सकता था।

छ:[12] शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर बकायों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 1964-2016 अवधि हेतु 329 परिवारों/निर्धारितियों[13] ने ₹ 2.08 करोड़ राशि के गृहकर का भुगतान नहीं किया था, परिणामत: एक से 50 वर्षों से अधिक अवधि तक के लिए गृहकर के आधार पर बड़ी संख्या में बकायों का संचय हुआ। इससे इंगित हुआ कि उपर्युक्त नियम के अनुसार बहुवर्षों हेतु बकाया किराया से अंतर्ग्रस्त मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अक्तूबर 2014-मार्च 2016) कि स्टाफ की कमी के कारण गृहकर की वसूली नहीं की जा सकी थी। आगे यह बताया गया था कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे।

4.8.2 किराये की वसूली न करना

18 शहरी स्थानीय निकाय दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 5.43 करोड़ राशि के देय किराये की वसूली करने में विफल रहे।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i)(ख)(2) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय किसी भी राशि का 15 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब अधिशाषी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को डिमांड नोटिस दे सकता है।

यह पाया गया कि 18 शहरी स्थानीय निकायों में, अप्रैल 2013 तक इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वाधिकार की दुकानों/स्टालों के निर्धारितियों के विरूद्ध ₹ 5.39 करोड़ राशि के किराया प्रभार वसूली हेतु लम्बित थे **(परिशिष्ट-17)**। आगे, 2013-16 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किरायेदारों/पट्टेदारों से ₹ 10.04 करोड़ की मांग उठाई गई थी। ₹ 15.43 करोड़ की कुल मांग के प्रति मार्च 2016 तक ₹ 10 करोड़ की वसूली की गई थी तथा ₹ 5.43 करोड़ की वसूली लम्बित थी। शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे और शीघ्र ही राशि की वसूली की जाएगी।

4.8.3 मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली न करना

10 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 24.43 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मोबाइल संचारण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क और ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीनीकरण फीस का उद्ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया है (अगस्त 2006)।

10 शहरी स्थानीय निकायों में, 2001-15 के दौरान मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गए थे लेकिन मार्च 2016 तक सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने 117 टावरों के सम्बंध में ₹ 24.43 लाख के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की थी **(परिशिष्ट-18)**। इससे शहरी स्थानीय निकाय राजस्व में अपने देय हिस्से से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2016) कि शीघ्र ही देयों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

---

12 धर्मशाला, कुल्लू, पालमपुर, परवाणू, श्री नैना देवी जी और सुंदरनगर।

13 329 मामलों में से, एक मामले में 1964-65 से, दो मामलों में 1970-71 से, दो मामलों में 1976-77 से और आठ मामलों में 1988-89 से गृहकर देय था।

4.8.4 स्वच्छता/सफाई कर की वसूली न करना

दो नगर परिषदें सफाई/स्वच्छता कर की वसूली में विफल रही, परिणामत: ₹ 18.38 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(i) नगर परिषद, रोहडू ने गृह संकल्प संख्या 553 (जनवरी 2012) के द्वारा निर्धारित किया था कि होटलों, ढाबों, फल/सब्जी/चिकन तथा बीयर बारों के मालिकों से ₹ 70 प्रति मास की दर पर और अन्य दुकानदारों (ड्राई बिजनेशज) से ₹ 40 प्रति मास की दर पर स्वच्छता/सफाई कर की वसूली की जाएगी।

यह पाया गया कि 2012-16 की अवधि के लिए ₹ 15.94 लाख की कुल मांग के प्रति मार्च 2016 तक मात्र ₹ 0.18 लाख (एक *प्रतिशत*) की वसूली की गई थी। अधिशाषी अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि स्टाफ की कमी के कारण स्वच्छता/सफाई कर की वसूली नहीं की जा सकी थी। तथापि तथ्य यह रहा कि स्वच्छता/सफाई कर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप ₹ 15.76 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना (मार्च 1993) के अनुसार नगर परिषद परवाणू में स्वच्छता कर लगाया गया था जोकि निर्धारित दर[14] पर आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक स्थापनाओं से वसूल किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008-16 के दौरान 15 निर्धारितियों से ₹ 2.62 लाख राशि का स्वच्छता कर वसूली हेतु लम्बित था। अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि स्वच्छता कर की वसूली हेतु निर्धारितियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और इन निर्धारितियों को चूककर्त्ता घोषित करने हेतु नगर परिषद सदन में मामले पर चर्चा की जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि स्वच्छता कर की वसूली न करने के परिणामस्वरूप नगर परिषद परवाणू को ₹ 2.62 लाख तक की राजस्व की हानि हुई।

4.9 निधियों का अवरोधन

4.9.1 विकास कार्यों को आरम्भ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

छ:[15] नगर परिषदों तथा तीन[16] नगर पंचायतों में, 2008-15 के दौरान 93 विकास कार्यों के निष्पादनार्थ ₹ 4.63 करोड़ राशि की निधियां उपलब्ध थीं। तथापि मार्च 2015 तक इन निधियों में से कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। विकास कार्यों हेतु निधियों की अप्रयुक्ति के परिणामस्वरूप लाभार्थी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (मई 2015-नवम्बर 2015) कि भूमि विवाद, संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि ऐसे मामले कार्यों की संस्वीकृति तथा निधियन अभिकरणों से निधियां अवमुक्त किए जाने से पूर्व सुलझाए जाने चाहिए।

4.10 भवन कर तथा विद्युत प्रभारों की बकाया वसूली

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार (अक्तूबर 2002), नगर परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में भवन मालिकों से भवन एवं विद्युत कर[17] के उद्ग्रहण/वसूली हेतु प्राधिकृत है।

---

14 **आवासीय भवन:** प्लॉट/फ्लैट के प्रकार के आधार पर ₹ दो से ₹ 20 प्रति मास के मध्य; **उद्योग:** ₹ 200 (मध्यम उद्योग) तथा ₹ 75 (लघु उद्योग) प्रति मास **और वाणिज्यिक अभिकरण:** स्थापना के प्रकार के आधार पर ₹ 10 से ₹ 100 प्रति मास के मध्य।

15 नगर परिषदें: चम्बा: ₹ 60.85 लाख, धर्मशाला: ₹ 35.22 लाख, सुंदरनगर: ₹ 12.45 लाख, कुल्लू: ₹ 18.46 लाख, मंडी: ₹ 20.19 लाख तथा बिलासपुर ₹ 33.50 लाख।

16 नगर पंचायतें: सरकाघाट (₹ 8.00 लाख), मेहतपुर (₹ 3.00 लाख) तथा ज्वालामुखी (₹ 271.05 लाख)।

17 **भवन कर:** आवासीय एवं सरकारी भवन हेतु ₹ 2.50 प्रति वर्ग मीटर तथा वाणिज्यिक एवं अन्य भवनों हेतु ₹ पांच प्रति वर्ग मीटर और **विद्युत कर:** एक पैसा प्रति इकाई।

अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित हमीरपुर के विद्युतीय अभियंता मण्डल संख्या-II से भवन कर (2013-14 अवधि के लिए ₹ 1.33 करोड़) तथा विद्युत प्रभार (अप्रैल 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के लिए ₹ 0.12 करोड़) के रूप में ₹ 1.45 करोड़ की मांग की थी (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अगस्त 2015 तक न तो विद्युतीय अभियंता, विद्युतीय मण्डल ने कर जमा करवाया था, न ही अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद, ने विद्युतीय अभियंता को कोई संशोधित मांग/नोटिस दिया था। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (अगस्त 2015) कि सम्बंधित प्राधिकारी के साथ मामले पर चर्चा की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर परिषद हमीरपुर उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार बकाया भवन कर तथा विद्युत प्रभारों की वसूली में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को देय उपर्युक्त राशि के राजस्व की हानि हुई।

4.11 आवास को खाली न किया जाना

किराया, विद्युत, जल एवं अन्य खर्चों के आधार पर प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 31.68 लाख के राजस्व की हानि हुई।

4.11.1 सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) द्वारा आवास को खाली नहीं किया जाना

नगर परिषद, परवाणू ने सहायक आयुक्त (प्रोटोकॉल) को अक्तूबर 1992 से बिना किसी लिखित अनुबंध के कार्यालय उद्देश्यों हेतु दो कमरे दिए थे। नगर परिषद, परवाणू ने संकल्प संख्या 7 (फरवरी 2001) के माध्यम से अक्तूबर 1992 से अप्रैल 2011 की अवधि हेतु किराया, विद्युत प्रभारों, जल प्रभारों तथा अन्य व्ययों के आधार पर ₹ 12.69 लाख राशि के मांग बिल उठाए थे और आगे 31 मार्च 2016 तक ये ₹ 29.72 लाख हो गए। तथापि यह पाया गया कि अनुबंध के न होने से मार्च 2016 तक न तो राशि की वसूली की गई थी, न ही आवास खाली करवाई गई थी। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि आवास को खाली करवाने हेतु मामला उपायुक्त के संज्ञान में लाया गया था लेकिन उत्तर प्रतीक्षित था।

4.11.2 पुलिस विभाग द्वारा रहन बसेरा खाली न किया जाना

नगर परिषद सुंदरनगर के सदन में पारित संकल्प संख्या 119/2013 के माध्यम से पुलिस स्टेशन को अस्थायी आधार पर एक वर्ष हेतु रहन बसेरा आवंटित किया गया था (जनवरी 2014)। सदन द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि पुलिस विभाग एक वर्ष के पश्चात रहन बसेरा को खाली नहीं करता तो उसको ₹ 0.07 लाख प्रति मास किराये का भुगतान करना पडेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुलिस विभाग ने न तो रिहायिश खाली की थी, न ही रहन बसेरा के अधिग्रहण की तिथि (जनवरी 2014) से किराये का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद सुंदरनगर को ₹ 1.96 लाख (₹ 0.07 लाख x 28 मास) की राजस्व हानि हुई। अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर द्वारा भवन के मूल्यांकन की समीक्षा की जा रही थी, जिसके कारण पुलिस विभाग से किराये की वसूली नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संकल्प के अनुसार निर्धारित किये गये मासिक किराये की वसूली नहीं की जा रही थी।

4.11.3 पुलिस विभाग द्वारा नगर परिषद भवन को खाली न किया जाना

पुलिस विभाग द्वारा अखाड़ा बाजार, कुल्लू में पुलिस चौकी चलाने हेतु नगर परिषद भवन में चार कमरों[18] का अधिग्रहण किया गया था (1998)। कमरों के अधिग्रहण के समय से, नगर परिषद कुल्लू ने न तो पुलिस विभाग से कोई किराया प्राप्त किया था, न ही इस सम्बंध में कोई प्रयास किया था। आगे यह पाया गया कि नगर परिषद, कुल्लू समस्त व्यय जैसे उपर्युक्त

[18] भू-तल: दो कमरे तथा प्रथम तल: दो कमरे।

रिहायिश के विद्युत बिल, जल बिल तथा अन्य रख-रखाव प्रभारों का वहन कर रही थी। अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि भवन को खाली करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

4.12 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

2011-12 से 2014-15 के दौरान नगर परिषद कुल्लू ने पूर्व अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 26.09 लाख के अस्थायी अग्रिम संस्वीकृत किये थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189(1) से (4) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष सामान की खरीददारी अथवा सेवाएं किराये पर लेने हेतु अथवा किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु, जैसा कि निर्धारित है, सरकारी कर्मचारी को अग्रिमों की संस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत है। नियम में आगे प्रावधान है कि समायोजन हेतू बिल सहित शेष, यदि कोई है, अग्रिम के आहरण से 15 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए। दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक सम्बंधित सरकारी कर्मचारी ने प्रथम अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-12 से 2014-15 के दौरान एक सरकारी कर्मचारी को कुल्लू के नगर परिषद क्षेत्र के भीतर दशहरा सफाई व्यवस्था करने के लिए संस्वीकृत किया गया ₹ 26.09 लाख का अस्थायी अग्रिम एक से पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए समायोजन हेतु लम्बित था। पूर्व अग्रिमों का समायोजन किए बिना अनुवर्ती अग्रिम दिए जा रहे थे। इससे नगर परिषद के पक्ष पर बड़ी राशि से अंतर्ग्रस्त अग्रिमों के समायोजन से सम्बंधित संहिताबद्ध प्रावधानों को लागू करने में शिथिलता इंगित हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष मार्च 2017 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2017)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक:

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.9; एवं 3.7; पृष्ठ 7 एवं 21)

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र-2015-16 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विवरण

जिला परिषद

क्रमांक	जिला परिषदों का नाम
1.	चम्बा
2.	सिरमौर
3.	मण्डी
4.	बिलासपुर

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम
1.	भाटियात
2.	भरमौर
3.	मैहला
4.	बिलासपुर
5.	चौपाल
6.	करसोग
7.	हमीरपुर
8.	शिलाई
9.	नादौन
10.	सुजानपुर टिहरा
11.	सराज जंजैहली मण्डी
12.	रैत
13.	ऊना
14.	पांवटा साहिब
15.	भवारना
16.	बैजनाथ
17.	पंचरूखी
18.	सदर मण्डी
19.	देहरा
20.	नूरपुर
21.	सुलह बिड़ू महादेव
22.	कांगड़ा

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	त्रिलोकपुर	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
2.	कमनाला	नूरपुर	कांगड़ा
3.	नरगाला	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
4.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा
5.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
6.	ठेहड़	नूरपुर	कांगड़ा
7.	भोग्रवां	फतेहपुर	कांगड़ा
8.	घाटी	परागपुर	कांगड़ा

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
9.	इंदपुर	इन्दौरा	कांगड़ा
10.	बणी	परागपुर	कांगड़ा
11.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा
12.	रियाली	फतेहपुर	कांगड़ा
13.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा
14.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा
15.	धमेटा	फतेहपुर	कांगड़ा
16.	सिहोरपाई	देहरा	कांगड़ा
17.	जमानाबाद	कांगड़ा	कांगड़ा
18.	सुल्याली	नूरपुर	कांगड़ा
19.	तियारा	कांगड़ा	कांगड़ा
20.	स्थाना	फतेहपुर	कांगड़ा
21.	भवारना	भवारना	कांगड़ा
22.	थुरल	लम्बागांव	कांगड़ा
23.	चड़ी	रैत	कांगड़ा
24.	मंत	धर्मशाला	कांगड़ा
25.	शाहपुर	रैत	कांगड़ा
26.	मुहाल होल्टा	पंचरूखी	कांगड़ा
27.	सिद्धपुर	धर्मशाला	कांगड़ा
28.	सौकर्णी दा कोट	धर्मशाला	कांगड़ा
29.	खनियारा	धर्मशाला	कांगड़ा
30.	पौंटा	गोपालपुर	मण्डी
31.	अप्पर बैहली	सुंदर नगर	मण्डी
32.	डडौर	बल्ह	मण्डी
33.	नेर	बल्ह	मण्डी
34.	केहड़	बल्ह	मण्डी
35.	कुम्मी	बल्ह	मण्डी
36.	करसोग	करसोग	मण्डी
37.	भड़ियाडा	चौंतड़ा	मण्डी
38.	ढेलू	चौंतड़ा	मण्डी
39.	स्यांज	गोहर	मण्डी
40.	भाम्बला	गोपालपुर	मण्डी
41.	महादेव	सुंदर नगर	मण्डी
42.	गोपालपुर	गोपालपुर	मण्डी
43.	नवाही	गोपालपुर	मण्डी
44.	तल्याहड	सदर मण्डी	मण्डी
45.	स्योग	सदर मण्डी	मण्डी
46.	टांडू	सदर मण्डी	मण्डी
47.	कयैला	सदर मण्डी	मण्डी
48.	नगवांई	सदर मण्डी	मण्डी
49.	दभोटा	नालागढ़	सोलन
50.	हरिपुर संडोली	नालागढ़	सोलन
51.	ढांग निहली	नालागढ़	सोलन
52.	कृपालपुर	नालागढ़	सोलन
53.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन
54.	किशनपुरा	नालागढ़	सोलन
55.	मंधाला	धर्मपुर	सोलन

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
56.	जाबली	धर्मपुर	सोलन
57.	मंझौली	नालागढ़	सोलन
58.	मिश्रवाला	पांवटा साहिब	सिरमौर
59.	भगांनी	पांवटा साहिब	सिरमौर
60.	काला अंब	नाहन	सिरमौर
61.	मुगलवाला करतारपुर	पांवटा साहिब	सिरमौर
62.	माजरा	पांवटा साहिब	सिरमौर
63.	सतौन	पांवटा साहिब	सिरमौर
64.	पातलियां	पांवटा साहिब	सिरमौर
65.	गोरखु वाला	पांवटा साहिब	सिरमौर
66.	भटांवाली	पांवटा साहिब	सिरमौर
67.	डगोह खास	गगरेट	ऊना
68.	बाथू	हरोली	ऊना
69.	देहला लोअर	ऊना	ऊना
70.	देहला अप्पर	ऊना	ऊना
71.	टब्बा	ऊना	ऊना
72.	रायपुर सहोडा	ऊना	ऊना
73.	पंजावर	हरोली	ऊना
74.	धुंधला	बंगाणा	ऊना
75.	मोमनियार	बंगाणा	ऊना
76.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर
77.	सुन्हानी	झंडूता	बिलासपुर
78.	जैजवीं	झंडूता	बिलासपुर
79.	फटोह	घुमारवीं	बिलासपुर
80.	बैहनाजट्टां	झंडूता	बिलासपुर
81.	समोह	झंडूता	बिलासपुर
82.	हटवाड़	घुमारवीं	बिलासपुर
83.	केहड़	सलूणी	चम्बा
84.	ब्याणा	सलूणी	चम्बा
85.	सलूणी	सलूणी	चम्बा
86.	उदयपुर	चम्बा	चम्बा
87.	स्नोह	सलूणी	चम्बा
88.	कलहेल	तीसा	चम्बा
89.	समलेऊ	भटियात	चम्बा
90.	जडेरा	चम्बा	चम्बा
91.	जियुंता	भटियात	चम्बा
92.	भांदल	सलूणी	चम्बा
93.	शिंगला	रामपुर	शिमला
94.	खसधार	छौहारा	शिमला
95.	सराहन	रामपुर	शिमला
96.	बल्देयां	बसंतपुर	शिमला
97.	आनंदपुर	मशोबरा	शिमला
98.	दोफदा	रामपुर	शिमला
99.	नेरवा	चौपाल	शिमला
100.	टयाला ज्यूरी	रामपुर	शिमला
101.	चैली	मशोबरा	शिमला

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम
102.	चमियाणा	मशोबरा	शिमला
103.	टिक्कर	रोहडू	शिमला
104.	अढ़ाल	रोहडू	शिमला
105.	झाखड़ी	रामपुर	शिमला
106.	टिंडी	उद्यपुर	लाहौल और स्पिति
107.	काजा	लाहौल और स्पिति	लाहौल और स्पिति
108.	यूरनाथ	लाहौल	लाहौल और स्पिति
109.	नथान	नग्गर	कुल्लू
110.	हलाण-I	नग्गर	कुल्लू
111.	हलाण-II	नग्गर	कुल्लू
112.	कटरांई	नग्गर	कुल्लू
113.	नग्गर	नग्गर	कुल्लू
114.	वशिष्ट	नग्गर	कुल्लू
115.	नसोगी	नग्गर	कुल्लू
116.	नऊली	नग्गर	कुल्लू
117.	शुदारंग	कल्पा	किन्नौर
118.	तरांडा	निचार	किन्नौर
119.	पांगी	कल्पा	किन्नौर
120.	कडहोता	भौरंज	हमीरपुर
121.	टिक्कर डिडवीं	भौरंज	हमीरपुर
122.	भौंखर	भौरंज	हमीरपुर
123.	अग्घार	भौरंज	हमीरपुर
124.	संघरियाण	भौरंज	हमीरपुर
125.	भौरंज	भौरंज	हमीरपुर
126.	लुदर महादेव	भौरंज	हमीरपुर
127.	सौर	बिझड़ी	हमीरपुर
128.	जोड़े अम्ब	बिझड़ी	हमीरपुर
129.	ज्योली देवी	बिझड़ी	हमीरपुर

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला

नगर परिषद

क्रमांक	नगर परिषद का नाम
1.	चम्बा
2.	सोलन
3.	सुन्दर नगर
4.	बिलासपुर
5.	रामपुर
6.	कुल्लू
7.	हमीरपुर
8.	धर्मशाला
9.	मनाली
10.	मण्डी
11.	देहरा

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	नारकंडा
2.	ज्वालामुखी
3.	सरकाघाट
4.	मेहतपुर

परिशिष्ट-2

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ट 9)

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला का नाम
1.	भवारना	कांगड़ा
2.	पंचरूखी	कांगड़ा
3.	करसोग	मण्डी

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	बाथू	हरोली	ऊना
2.	देहला अप्पर	ऊना	ऊना
3.	देहला लोअर	ऊना	ऊना
4.	टब्बा	ऊना	ऊना
5.	धुंधला	बंगाणा	ऊना
6.	पंजावर	हरोली	ऊना
7.	मुगलवाला करतारपुर	पावंटा साहिब	सिरमौर
8.	त्रिलोकपुर	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
9.	खनियारा	धर्मशाला	कांगड़ा
10.	कमनाला	नूरपुर	कांगड़ा
11.	नरगाला	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
12.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा
13.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर
14.	सुन्हानी	झण्डूता	बिलासपुर
15.	जैजवीं	झण्डूता	बिलासपुर
16.	फटोह	झण्डूता	बिलासपुर
17.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
18.	ठेहड़	नूरपुर	कांगड़ा
19.	टाण्डू	सदर मण्डी	मण्डी
20.	भाम्बला	गोपालपुर	मण्डी
21.	स्यांज	गोहर	मण्डी
22.	नवाही	गोपालपुर	मण्डी
23.	गोपालपुर	गोपालपुर	मण्डी
24.	बैहना जट्टां	झण्डूता	बिलासपुर
25.	नेर	बल्ह नेर चौक	मण्डी
26.	सराहन	रामपुर	शिमला
27.	दोफदा	रामपुर	शिमला
28.	चैली	मशोबरा	शिमला
29.	टिंडी	उद्यपुर	लाहौल एवं स्पिति
30.	काजा	काजा	लाहौल एवं स्पिति
31.	यूरनाथ	लाहौल	लाहौल एवं स्पिति
32.	पांगी	कल्पा	किन्नौर

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
33.	सुदारंग	कल्पा	किन्नौर
34.	तरंडा	निचार	किन्नौर
35.	दभोटा	नालागढ़	सोलन
36.	हरिपुर संडौली	नालागढ़	सोलन
37.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन
38.	जाबली	धर्मपुर	सोलन
39.	भोग्रवां	फतेहपुर	कांगड़ा
40.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा
41.	स्थाना	फतेहपुर	कांगड़ा
42.	घाटी	परागपुर	कांगड़ा
43.	सुल्याली	नूरपुर	कांगड़ा
44.	इंदपुर	इंदौरा	कांगड़ा
45.	बणी	परागपुर	कांगड़ा
46.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा
47.	रियाली	फतेहपुर	कांगड़ा
48.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा
49.	जडेरा	चम्बा	चम्बा
50.	केहड़	सलूणी	चम्बा
51.	सौर	बिझड़ी	हमीरपुर
52.	कडहोता	भौरंज	हमीरपुर
53.	टिक्कर डिडवीं	भौरंज	हमीरपुर
54.	ज्योली देवी	बिझड़ी	हमीरपुर
55.	अग्घार	भौरंज	हमीरपुर
56.	जौडे अंब	बिझड़ी	हमीरपुर
57.	ब्याणा	सलूणी	चम्बा
58.	भौंखर	भौरंज	हमीरपुर
59.	सलूणी	सलूणी	चम्बा
60.	कलहेल	तीसा	चम्बा
61.	भांदल	सलूणी	चम्बा
62.	जियूतां	भटियात	चम्बा
63.	ज्यूरी	रामपुर	शिमला

स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

परिशिष्ट-3

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 10)

बैंक पासबुकों और रोकड़ बहियों के मध्य अंतर का मिलान न करना

1. मामले जहां बैंक पासबुक रोकड़ बही से कम शेष दर्शाती है

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	31 मार्च 2015 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	भवारना	कांगड़ा	26.24	33.81	7.57
2.	भरमौर	चम्बा	167.59	170.77	3.18
3.	भटियात	चम्बा	118.85	149.65	30.80
		योग	**312.68**	**354.23**	**41.55**

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	31 मार्च 2015 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	नथान	नग्गर	कुल्लू	26.04	26.69	0.65
2.	नग्गर	नग्गर	कुल्लू	30.23	30.33	0.10
3.	विशिष्ट	नग्गर	कुल्लू	29.26	29.40	0.14
4.	सौर	बिझड़ी	हमीरपुर	1.26	1.50	0.24
5.	मुहाल होलटा	पंचरूखी	कांगड़ा	5.30	8.60	3.30
6.	नेर	बल्ह	मण्डी	20.55	28.20	7.65
7.	डडौर	बल्ह	मण्डी	18.92	25.75	6.83
8.	कटौला	सदर	मण्डी	15.52	15.91	0.39
			योग	**147.08**	**166.38**	**19.30**
			सकल योग	**459.76**	**520.61**	**60.85**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

2. मामले जहां रोकड़ बही बैंक पासबुक से कम शेष दर्शाती है

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद का नाम	31 मार्च 2015 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	मण्डी	0.70	0.58	0.12
	योग	**0.70**	**0.58**	**0.12**

पंचायत समितियां

क्रमांक	जिला परिषद का नाम	जिला	31 मार्च 2015 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1	सुलाह स्थित बिड़ू महादेव	कांगड़ा	207.30	177.04	30.26
2	रैत	कांगड़ा	358.28	342.42	15.86
3	बिलासपुर	बिलासपुर	300.65	274.38	26.27
4	बैजनाथ	कांगड़ा	167.37	161.20	6.17
5	पंचरूखी	कांगड़ा	153.87	149.65	4.22
6	करसोग	मण्डी	36.82	34.49	2.33
योग			**1224.29**	**1139.18**	**85.11**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	31 मार्च 2015 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2015 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	कमनाला	नूरपुर	कांगड़ा	11.34	0.73	10.61
2.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा	4.17	0	4.17
3.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर	9.55	0	9.55
4.	समोह	झण्डूता	बिलासपुर	2.22	1.20	1.02
5.	सुन्हानी	झण्डूता	बिलासपुर	11.78	0	11.78
6.	फटोह	झण्डूता	बिलासपुर	29.28	0	29.28
7.	बैहनाजट्टां	झण्डूता	बिलासपुर	6.02	0	6.02
8.	ठेहड	नूरपुर	कांगड़ा	15.51	1.32	14.19
9.	समलेऊ	भटियात	चम्बा	6.61	5.51	1.10
10.	जियूंता	भटियात	चम्बा	9.18	5.88	3.30
11.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	21.10	0	21.10
12.	भवारना	भवारना	कांगड़ा	22.99	16.53	6.46
13.	सौकणी दा कोट	धर्मशाला	कांगड़ा	24.84	18.64	6.20
14.	थुरल	लम्बागांव	कांगड़ा	11.03	7.32	3.71
15.	खसधार	छौहारा	शिमला	27.65	17.65	10.00
16.	तल्याहड	सदर मण्डी	मण्डी	6.29	5.70	0.59
17.	स्योग	सदर मण्डी	मण्डी	7.06	6.58	0.48
18.	अप्पर बेहली	सुंदरनगर	मण्डी	10.45	7.90	2.55
19.	ढेलू	चौंतडा	मण्डी	6.85	5.65	1.20
20.	भडियारा	चौंतडा	मण्डी	15.59	11.03	4.56
21.	जडेरा	चम्बा	चम्बा	16.42	0	16.42
22.	कुम्मी	बल्ह	मण्डी	11.79	6.17	5.62
23.	केहड़	बल्ह	मण्डी	15.61	12.03	3.58
योग				**303.33**	**129.84**	**173.49**
सकल योग				**1528.32**	**1269.60**	**258.72**

रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के मध्य अंतर का सार

क्रमांक	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के मध्य अंतर
1.	जिला परिषद	1	0.12
2.	पंचायत समिति	9	126.66
3	ग्राम पंचायत	31	192.79
योग		**41**	**319.57**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट- 4

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.6; पृष्ठ 11)

सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्रियों के गैर लेखांकन का ब्यौरा

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	तियारा	कांगड़ा	कांगड़ा	2010-13	3.23
2.	सतौन	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010-15	5.06
3.	देहला अप्पर	ऊना	ऊना	2010-14	11.17
4.	देहला लोअर	ऊना	ऊना	2010-14	8.85
5.	टब्बा	ऊना	ऊना	2010-15	6.25
6.	पंजावर	हरोली	ऊना	2010-15	2.39
7.	कटरांई	नग्गर	कुल्लू	2013-14	1.04
8.	नथान	नग्गर	कुल्लू	2012-15	0.92
9.	विशिष्ट	नग्गर	कुल्लू	2012-14	2.24
10.	त्रिलोकपुर	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2011-15	9.33
11.	नरगाला	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2013-14	1.97
12.	खनियारा	धर्मशाला	कांगड़ा	2008-14	5.53
13.	कमनाला	नूरपुर	कांगड़ा	2014-15	9.99
14.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा	2014-15	8.92
15.	ठेहड़	नूरपुर	कांगड़ा	2014-15	9.34
16.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर	2011-14	3.88
17.	सुन्हानी	झण्डूता	बिलासपुर	2011-15	9.63
18.	जैजवीं	झण्डूता	बिलासपुर	2011-15	29.16
19.	फटोह	झण्डूता	बिलासपुर	2010-15	11.08
20.	बेहनाजट्टां	झण्डूता	बिलासपुर	2011-15	4.80
21.	टांडू	सदर मण्डी	मण्डी	2012-13	1.28
22.	डडौर	बल्ह	मण्डी	2012-13	2.27
23.	भडियारा	चौंतडा	मण्डी	2012-15	8.19
24.	नवाही	गोपालपुर	मण्डी	2010-15	2.90
25.	गोपालपुर	गोपालपुर	मण्डी	2010-15	1.75
26.	नेर	बल्ह नेर चौक	मण्डी	2014-15	0.47
27.	स्योग	सदर मण्डी	मण्डी	2010-14	0.89
28.	शिंगला	रामपुर	शिमला	2009-15	1.52
29.	झाकड़ी	रामपुर	शिमला	2009-15	2.96
30.	दोफदा	रामपुर	शिमला	2010-15	1.47
31.	चमियाणा	मशोबरा	शिमला	2014-15	5.67
32.	सराहन	रामपुर	शिमला	2009-15	1.55
33.	मंझौली	नालागढ़	सोलन	2010-13	2.23
34.	मंधाला	धर्मपुर	सोलन	2010-15	3.11
35.	जाबली	धर्मपुर	सोलन	2010-15	6.79
36.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन	2010-15	9.18
37.	कृपालपुर	नालागढ़	सोलन	2007-15	5.60
38.	ढांग निहाली	नालागढ़	सोलन	2010-14	7.11
39.	दभोटा	नालागढ़	सोलन	2010-15	0.91
40.	चढ़ी	रैत	कांगड़ा	2010-15	4.17

41.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-15	2.79
42.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा	2010-15	10.12
43.	जडेरा	चम्बा	चम्बा	2011-15	7.20
44.	केहड़	सलूणी	चम्बा	2010-15	25.57
45.	जियूंता	भटियात	चम्बा	2014-15	8.20
46.	समोह	झण्डूता	बिलासपुर	2012-15	4.74
47.	ज्यूरी	रामपुर	शिमला	2010-15	2.26
48.	सौर	बिझड़ी	हमीरपुर	2010-11	1.72
49.	भांदल	सलूणी	चम्बा	2010-14	9.61
50.	भौंखर	भौरंज	हमीरपुर	2011-13	1.95
51.	ब्याणा	सलूणी	चम्बा	2010-15	17.74
52.	स्नोह	सलूणी	चम्बा	2010-13	27.06
53.	जौडे अंब	बिझड़ी	हमीरपुर	2010-15	1.80
54.	भौरंज	भौरंज	हमीरपुर	2010-11	3.01
55.	उद्यपुर	चम्बा	चम्बा	2014-15	2.16
56.	ज्योली देवी	बिझड़ी	हमीरपुर	2012-15	1.47
57.	कडहोता	भौरंज	हमीरपुर	2011-13	0.90
				योग	**343.10**

परिशिष्ट-5

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ11)

सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की अवसूली का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत	खण्ड का नाम	जिला का नाम	बकाया राशि
1.	नथान	नग्गर	कुल्लू	0.91
2.	डगोह खास	गगरेट	ऊना	0.50
3.	बाथू	हरोली	ऊना	0.22
4.	देहला लोअर	ऊना	ऊना	0.30
5.	टब्बा	ऊना	ऊना	0.37
6.	रायपुर सहोडा	ऊना	ऊना	0.22
7.	पंजावर	हरोली	ऊना	0.22
8.	मिश्रवाला	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.06
9.	काला अंब	नाहन	सिरमौर	1.51
10.	मुगलवाला करतारपुर	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.51
11.	माजरा	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.37
12.	सतौन	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.05
13.	पातलियां	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.06
14.	गोरखु वाला	पावंटा साहिब	सिरमौर	0.80
15.	स्यांज	गोहर	मण्डी	0.08
16.	खनियारा	धर्मशाला	कांगड़ा	0.29
17.	कमनाला	नूरपुर	कांगड़ा	1.23
18.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा	0.08
19.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर	0.11
20.	सुन्हानी	झण्डूता	बिलासपुर	0.35
21.	जैजवीं	झण्डूता	बिलासपुर	0.34
22.	फटोह	झण्डूता	बिलासपुर	0.44
23.	बैहना जट्टां	झण्डूता	बिलासपुर	0.37
24.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.18
25.	ठेहड	नूरपुर	कांगड़ा	0.31
26.	डडौर	बल्ह	मण्डी	0.62
27.	भाम्बला	गोपालपुर	मण्डी	0.53
28.	भडियारा	चौंतडा	मण्डी	0.57
29.	नवाही	गोपालपुर	मण्डी	0.34
30.	पौंटा	गोपालपुर	मण्डी	0.29
31.	गोपालपुर	गोपालपुर	मण्डी	0.03
32.	करसोग	करसोग	मण्डी	0.40
33.	कुम्मी	बल्ह	मण्डी	0.44
34.	शिंगला	रामपुर	शिमला	0.21
35.	खसधार	चौंतडा	शिमला	0.38
36.	सराहन	रामपुर	शिमला	1.65
37.	बल्देयां	बसंतपुर	शिमला	0.12
38.	आनंदपुर	मशोबरा	शिमला	0.14
39.	दोफदा	रामपुर	शिमला	1.71
40.	नेरवा	चौपाल	शिमला	0.36
41.	पांगी	उद्यपुर	लाहौल एवं स्पिति	0.09
42.	यूरनाथ	लाहौल	लाहौल एवं स्पिति	0.14
43.	शुदारंग	कल्पा	किन्नौर	0.10

क्रमांक	ग्राम पंचायत	खण्ड का नाम	जिला का नाम	बकाया राशि
44.	तरांडा	निचार	किन्नौर	0.04
45.	ढेलू	चौंतडा	मण्डी	0.58
46.	नेर	बल्ह स्थित नेर	मण्डी	0.46
47.	दभोटा	नालागढ़	सोलन	0.48
48.	हरिपुर संडोली	नालागढ़	सोलन	0.07
49.	ढांग निहली	नालागढ़	सोलन	0.15
50.	कृपालपुर	नालागढ़	सोलन	0.21
51.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन	0.14
52.	किशनपुरा	नालागढ़	सोलन	0.06
53.	मंधाला	धर्मपुर	सोलन	0.43
54.	जाबली	धर्मपुर	सोलन	0.20
55.	मंझौली	नालागढ़	सोलन	0.33
56.	भोग्रवां	फतेहपुर	कांगड़ा	2.25
57.	थुरल	लम्बागांव	कांगड़ा	0.14
58.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा	0.21
59.	स्थाना	फतेहपुर	कांगड़ा	0.08
60.	चढ़ी	रैत	कांगड़ा	0.13
61.	घाटी	परागपुर	कांगड़ा	0.21
62.	तियारा	कांगड़ा	कांगड़ा	0.25
63.	सुल्याली	नूरपुर	कांगड़ा	0.78
64.	इंदपुर	इंदौरा	कांगड़ा	0.64
65.	धमेटा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.39
66.	सिहोरपाई	देहरा	कांगड़ा	0.50
67.	बणी	परागपुर	कांगड़ा	0.49
68.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा	0.53
69.	रियाली	फतेहपुर	कांगड़ा	0.27
70.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	1.07
71.	केहड़	सलूणी	चम्बा	0.36
72.	कडहोता	भौरंज	हमीरपुर	0.13
73.	टिक्कर डिडवीं	भौरंज	हमीरपुर	0.58
74.	उद्यपुर	चम्बा	चम्बा	0.62
75.	स्नोह	सलूणी	चम्बा	0.95
76.	ब्याणा	सलूणी	चम्बा	0.64
77.	भौंखर	भौरंज	हमीरपुर	0.39
78.	सलूणी	सलूणी	चम्बा	0.73
79.	कलहेल	तीसा	चम्बा	0.47
80.	महादेव	सुंदरनगर	मण्डी	0.08
81.	ज्यूरी	रामपुर	शिमला	0.58
82.	समलेऊ	भटियात	चम्बा	0.13
83.	समोह	झण्डूता	बिलासपुर	0.35
84.	सौर	बिझड़ी	हमीरपुर	0.11
				35.21

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.2 पृष्ठ 11)

दुकानों के बकाया किराए का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
जिला परिषद				
1.	सिरमौर	2011-15	4	1.31
योग			**4**	**1.31**
पंचायत समितियां				
1.	बैजनाथ	2010-15	25	1.70
2.	करसोग	2010-14	6	1.98
3.	बिलासपुर	2002-15	11	1.67
4.	भटियात	2007-15	8	0.99
5.	पंचरूखी	2007-15	100	3.89
6.	सुजानपुर टिहरा	2012-15	8	0.16
7.	देहरा	2011-15	36	14.20
8.	पावंटा साहिब	2000-15	28	3.27
9.	ऊना	2003-15	17	5.46
योग			**239**	**33.32**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	भटांवाली	पावंटा साहिब	सिरमौर	2006-14	2	0.55
2.	नग्गर	नग्गर	कुल्लू	2009-15	1	0.02
3.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2013-14	3	0.12
4.	स्यांज	गौहर	मण्डी	2009-15	2	0.26
5.	गोपालपुर	गोपालपुर	मण्डी	2012-15	4	0.11
6.	ढेलू	चौंतडा	मण्डी	2002-15	5	1.39
7.	करसोग	करसोग	मण्डी	2010-15	2	0.30
8.	चैली	मशोबरा	शिमला	2007-15	23	2.15
9.	नेरवा	चौपाल	शिमला	2010-15	2	0.36
10.	यूरनाथ	लाहौल	लाहौल एवं स्पिति	2014-15	4	0.13
11.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा	2007-15	12	5.64
12.	धमेटा	फतेहपुर	कांगड़ा	2008-15	4	0.09
13.	सिहोरपाई	देहरा	कांगड़ा	2009-15	1	0.09
14.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	2014-15	3	0.19
15.	जडेरा	चम्बा	चम्बा	1995-2015	2	1.98
16	जाबली	धर्मपुर	सोलन	2013-15	2	0.43
17	सुन्हानी	झण्डूता	बिलासपुर	2014-15	1	0.21
योग					**73**	**14.02**
सकल योग					**316**	**48.65**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.3; पृष्ट 12)

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावर के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायतें	खण्ड	जिला	टावरों की संख्या	प्रतिष्ठापन का वर्ष	राशि
1.	हटवाड़	घुमारवीं	बिलासपुर	3	2003-12	0.44
2.	भटांवाली	पांवटा साहिब	सिरमौर	3	2008-12	0.14
3.	मुगलवाला करतारपुर	पांवटा साहिब	सिरमौर	3	2009-11	0.18
4.	भगांनी	पांवटा साहिब	सिरमौर	3	2006-13	0.21
5.	पातलियां	पांवटा साहिब	सिरमौर	2	2008-09	0.22
6.	गोरखु वाला	पांवटा साहिब	सिरमौर	2	2009-10	0.29
7.	नथान	नग्गर	कुल्लू	1	2010-11	0.12
8.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा	7	2007-10	0.66
9.	जैजवीं	झण्डूता	बिलासपुर	1	2005-06	0.27
10.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	3	2005-09	0.10
11.	ठेहड	नूरपुर	कांगड़ा	1	2007-08	0.20
12.	डडौर	बल्ह	मण्डी	5	2009-14	0.16
13.	अप्पर बेहली	सुन्दरनगर	मण्डी	1	2014-15	0.06
14.	सराहन	रामपुर	शिमला	2	2006-08	0.42
15.	बल्देयां	बसंतपुर	शिमला	3	2010-15	0.04
16.	टिक्कर	रोहडू	शिमला	2	2004-11	0.36
17.	आनंदपुर	मशोबरा	शिमला	4	2010-15	0.36
18.	नेरवा	चौपाल	शिमला	1	2006-07	0.22
19.	काजा	काजा	लाहौल स्पिति	1	2008-09	0.19
20.	पांगी	कल्पा	किन्नौर	2	2007-08	0.29
21.	तरांडा	निचार	किन्नौर	2	2007-08	0.45
22.	दभोटा	नालागढ़	सोलन	4	2006-09	0.84
23.	हरिपुर संडोली	नालागढ़	सोलन	2	2013-14	0.10
24.	कृपालपुर	नालागढ़	सोलन	5	2007-12	0.78
25.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन	9	2002-14	1.58
26.	किशनपुरा	नालागढ़	सोलन	6	2006-12	0.83
27.	मंधाला	धर्मपुर	सोलन	7	2004-12	1.36
28.	जाबली	धर्मपुर	सोलन	9	2006-12	0.88
29.	मंझौली	नालागढ़	सोलन	4	2008-11	0.56
30.	मंत	धर्मशाला	कांगड़ा	9	2005-08	0.91
31.	घाटी	परागपुर	कांगड़ा	1	2005-06	0.06
32.	बणी	परागपुर	कांगड़ा	1	2010-11	0.08
33.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा	2	2009-12	0.10
34.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	2	2007-09	0.37
35.	केहड़	सलूणी	चम्बा	3	2007-08	0.46
36.	उद्यपुर	चम्बा	चम्बा	1	2005-06	0.22

37.	स्नोह	सलूणी	चम्बा	2	2008–09	0.30
38.	ब्याणा	सलूणी	चम्बा	1	2005–06	0.20
39.	सलूणी	सलूणी	चम्बा	5	2004–09	1.15
40.	भांदल	सलूणी	चम्बा	2	2008–10	0.31
योग				**127**		**16.47**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 12)

निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	सराज	मण्डी	2012-15	20	13.90	-	13.90
2.	चौपाल	शिमला	2012-15	37	17.35	-	17.35
3.	पांवटा साहिब	सिरमौर	2013-15	21	21.29	-	21.29
योग				**78**	**52.54**		**52.54**

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	सराहन	शिमला	2012-13	1	1.00	-	1.00
2.	शिंगला	शिमला	2013-15	4	3.20	-	3.20
3.	काला अंब	सिरमौर	2015-16	1	4.00	-	4.00
4.	ज्यूरी	शिमला	2014-15	2	0.77	-	0.77
5.	लुदर महादेव	हमीरपुर	2013-15	4	4.25	-	4.25
6.	उपरली बडोल	कांगड़ा	2011-12	1	0.30	-	0.30
7.	खुल्याली	कांगड़ा	2013-14	1	0.40	-	0.40
8.	तियारा	कांगड़ा	2013-14	1	0.12	-	0.12
9.	स्थाना	कांगड़ा	2014-15	1	0.70	-	0.70
10.	थुरल	कांगड़ा	2012-15	1	1.00	-	1.00
11.	ढलियारा	कांगड़ा	2014-15	1	1.00	-	1.00
12.	भोग्रवां	कांगड़ा	2013-14	4	1.30	-	1.30
13.	कृपालपुर	सोलन	2013-14	1	0.80	-	0.80
14.	दभोटा	सोलन	2013-14	3	6.40	-	6.40
15.	कुम्मी	मण्डी	2014-15	1	1.20	-	1.20
16.	टिक्कर	शिमला	2014-15	2	3.81	-	3.81
17.	दोफदा	शिमला	2009-14	6	5.88	-	5.88
18.	ठेहड़	कांगड़ा	2012-13	7	2.20	-	2.20
19.	फटोह	बिलासपुर	2009-10	2	3.40	-	3.40
20.	कमनाला	कांगड़ा	2012-15	22	7.13	-	7.13
21.	त्रिलोकपुर	कांगड़ा	2010-11	2	0.27	-	0.27
22.	धुंधला	ऊना	2012-15	2	1.71	-	1.71
23.	वशिष्ट	कुल्लू	2011-13	4	7.50	-	7.50
24.	गोरखुवाला	सिरमौर	2014-15	1	1.00	-	1.00
25.	भटांवली	सिरमौर	2014-15	1	0.28	-	0.28
26.	रायपुर सहोड़ा	ऊना	2010-15	3	5.00	-	5.00
27.	कलहेल	चम्बा	2010-12	2	4.34	-	4.34
28.	उद्यपुर	चम्बा	2010-13	5	5.00	-	5.00
29.	समोह	झण्डूता	2014-15	1	0.15	-	0.15
30.	स्योग	मण्डी	2013-15	10	15.01	-	15.01
योग				**97**	**89.12**	**-**	**89.12**
सकल योग				**175**	**141.66**		**141.66**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 13)

निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	भटियात	चम्बा	2011-15	28	29.98	21.20	8.78
2.	भरमौर	चम्बा	2009-14	23	37.30	16.20	21.10
योग				**51**	**67.28**	**37.40**	**29.88**

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायतों का नाम	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	गोरखुवाला	सिरमौर	2010-14	4	5.70	4.13	1.57
2.	जडेरा	चम्बा	2012-14	2	5.00	2.25	2.75
3.	नग्गर	कुल्लू	2013-15	11	21.50	7.83	13.67
4.	देहला लोअर	ऊना	2012-14	5	5.25	4.10	1.15
5.	बाथू	ऊना	2013-14	1	3.00	2.50	0.50
6.	ज्योली देवी	हमीरपुर	2012-13	1	1.19	0.27	0.92
7.	ज्यूरी	शिमला	2011-14	5	6.50	4.92	1.58
8.	स्थाना	कांगड़ा	2014-15	3	0.61	0.15	0.46
9.	भोग्रवां	कांगड़ा	2013-14	1	1.50	1.21	0.29
10.	केहड़	मण्डी	2008-09	1	0.29	0.15	0.14
11.	ढेलू	चौंतडा	2011-14	17	27.00	4.60	22.40
12.	सराहन	शिमला	2012-15	2	6.00	3.28	2.72
13.	शिंगला	शिमला	2012-15	4	5.66	2.77	2.89
14.	टिंडी	लाहौल स्पिति	2012-15	5	8.15	3.24	4.91
15.	दोफदा	शिमला	2011-15	5	6.25	4.10	2.15
16.	आनंदपुर	शिमला	2012-14	3	3.50	2.00	1.5
17.	टिक्कर	शिमला	2010-15	4	7.39	6.40	0.99
18.	भडियारा	मण्डी	2014-15	3	4.00	2.23	1.77
19.	ज्वाली	कांगड़ा	2010-11	1	1.00	0.32	0.68
20.	पातलियां	सिरमौर	2013-15	4	5.20	4.03	1.17
21.	मोमनियार	ऊना	2014-15	6	8.00	1.14	6.86
22.	पंजावर	ऊना	2011-14	2	10.50	4.06	6.44
23.	काला अंब	ऊना	2009-15	2	17.00	15.80	1.20
योग				**92**	**160.19**	**81.48**	**78.71**
सकल योग				**143**	**227.47**	**118.88**	**108.59**

परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3 (i); पृष्ठ 13)

निधियों की अप्रयुक्ति के कारण 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

पंचायत समितियां

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर	2012-15	98.11	75.11	23.00
2.	सराज	मण्डी	2012-15	372.34	311.39	60.95
				470.45	**386.50**	**83.95**

ग्राम पंचायतें

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	बाथु	हारोली	ऊना	2011-15	5.46	3.62	1.84
2.	देहला अप्पर	ऊना	ऊना	2011-15	5.54	3.67	1.87
3.	टब्बा	ऊना	ऊना	2011-15	7.38	1.80	5.58
4.	धुंधला	बंगाणा	ऊना	2011-15	5.23	3.22	2.01
5.	पंजावर	हारोली	ऊना	2012-15	3.91	0.68	3.23
6.	पातलियां	पांवटा साहिब	सिरमौर	2010-15	14.82	14	0.82
7.	नथान	नग्गर	कुल्लू	2014-15	4.98	0.90	4.08
8.	खनियारा	धर्मशाला	कांगड़ा	2010-15	10.92	4.01	6.91
9.	कमलाना	नूरपुर	कांगड़ा	2010-15	6.74	3.03	3.71
10.	नरगाला	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2010-15	8.40	6.78	1.62
11.	पुंदर	नूरपुर	कांगड़ा	2010-15	8.47	7.34	1.13
12.	मरहाना	घुमारवीं	बिलासपुर	2010-15	8.70	4.86	3.84
13.	सुन्हानी	झण्डुता	बिलासपुर	2011-15	4.47	3.41	1.06
14.	जैजवीं	झण्डुता	बिलासपुर	2013-15	3.23	1.68	1.55
15.	बैहना जट्टां	झण्डुता	बिलासपुर	2010-15	8.92	6.48	2.44
16.	ज्वाली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2010-15	12.00	9.49	2.51
17.	ठेहड़	नूरपुर	कांगड़ा	2011-15	6.76	4.06	2.70
18.	भाम्बला	गोपालपुर	मण्डी	2010-15	8.20	4.21	3.99
19.	भडियारा	चौंतडा	मण्डी	2012-15	3.62	0.02	3.60
20.	पांवटा	गोपालपुर	मण्डी	2010-15	7.36	3.55	3.81
21.	नवाही	गोपालपुर	मण्डी	2010-15	6.81	3.51	3.30
22.	झाकड़ी	रामपुर	शिमला	2012-15	8.56	6.20	2.36
23.	बल्देयां	बसंतपुर	शिमला	2011-15	3.18	1.33	1.85
24.	यूरनाथ	लाहौल	लाहौल स्पिति	2010-15	3.78	2.05	1.73
25.	पांगी	कल्पा	किन्नौर	2012-15	10.95	5.17	5.78
26.	तरांडा	निचार	किन्नौर	2012-15	6.28	1.75	4.53
27.	कुम्मी	बल्ह	मण्डी	2010-15	7.55	3.73	3.82
28.	तल्याहड	सदर मण्डी	मण्डी	2010-15	6.13	3.47	2.66
29.	केहड़	बल्ह	मण्डी	2010-15	7.20	3.48	3.72
30.	करसोग	करसोग	मण्डी	2010-15	7.03	3.76	3.27
31.	दभोटा	नालागढ़	सोलन	2011-15	11.37	6.65	4.72
32.	मंधाला	धर्मपुर	सोलन	2010-15	7.21	2.83	4.38
33.	जाबली	धर्मपुर	सोलन	2010-15	9.54	7.98	1.56

34.	मंझौली	नालागढ़	सोलन	2011–15	4.44	1.44	3.00
35.	शाहपुर	रैत	कांगड़ा	2010–15	7.79	5.72	2.07
36.	समोह	झण्डूता	बिलासपुर	2011–15	8.57	5.09	3.48
37.	ज्यूरी	रामपुर	शिमला	2012–15	3.32	2.88	0.44
38.	महादेव	सुन्दरनगर	मण्डी	2010–15	10.87	3.64	7.23
39.	सिद्धपुर	धर्मशाला	कांगड़ा	2010–15	7.23	4.25	2.98
40.	मंत	धर्मशाला	कांगड़ा	2010–15	17.61	10.02	7.59
41.	थुरल	लंबागांव	कांगड़ा	2011–15	6.66	3.43	3.23
42.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा	2010–15	9.20	6.04	3.16
43.	जमानाबाद	कांगड़ा	कांगड़ा	2010–15	14.90	10.36	4.54
44.	चढ़ी	रैत	कांगड़ा	2010–15	5.70	3.49	2.21
45.	घाटी	परागपुर	कांगड़ा	2010–15	8.30	7.22	1.08
46.	सोकर्णी दा कोट	धर्मशाला	कांगड़ा	2013–15	10.27	5.95	4.32
47.	तियारा	कांगड़ा	कांगड़ा	2010–15	6.62	4.46	2.16
48.	इंदपुर	इंदौरा	कांगड़ा	2011–15	7.00	2.58	4.42
49.	धमेटा	फतेहपुर	कांगड़ा	2010–15	6.47	3.81	2.66
50.	बणी	परागपुर	कांगड़ा	2010–15	7.48	3.23	4.25
51.	रे	फतेहपुर	कांगड़ा	2010–15	6.59	6.07	0.52
52.	रियाली	फतेहपुर	कांगड़ा	2010–15	6.36	1.44	4.92
53.	भवारना	भावरना	कांगड़ा	2010–15	7.02	4.82	2.20
54.	उपरली बडोल	धर्मशाला	कांगड़ा	2010–15	8.49	3.80	4.69
55.	कडहोता	भौरंज	हमीरपुर	2011–15	6.97	5.59	1.38
56.	रायपुर सहोदा	ऊना	ऊना	2009–15	19.99	15.28	4.71
57.	भोग्रवां	फतेहपुर	कांगड़ा	2011–15	5.22	2.20	3.02
58.	ज्योली देवी	बिझड़ी	हमीरपुर	2012–15	2.54	0.49	2.05
59.	मुहाल होलटा	पंचरूखी	कांगड़ा	2010–15	5.67	0.03	5.64
60.	सिहोरपाई	देहरा	कांगड़ा	2010–15	7.86	2.00	5.86
61.	शिंगला	रामपुर	शिमला	2012–15	4.52	3.20	1.32
62.	स्यांज	गौहर	मण्डी	2010–15	5.92	0.60	5.32
63.	त्रिलोकपुर	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2012–15	2.66	0.18	2.48
64.	फटोह	झण्डूता	बिलासपुर	2011–15	3.98	0.06	3.92
65.	नेर	बल्ह	मण्डी	2010–15	5.26	2.75	2.51
66.	डगोह खास	गगरेट	ऊना	2010–15	21.64	17.89	3.75
67.	गोरखुवाला	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010–15	7.58	2.80	4.78
68.	मिश्रवाला	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010–15	7.93	6.13	1.80
69.	सतौन	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010–15	24.12	18.28	5.84
70.	माजरा	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010–15	10.18	9.97	0.21
71.	मुगलवाला	पावंटा साहिब	सिरमौर	2010–15	6.53	5.71	0.82
72.	हटवाड़	घुमारवीं	बिलासपुर	2010–15	6.58	2.40	4.18
73.	दोफदा	रामपुर	शिमला	2014–15	2.77	0.72	2.05
				योग	**569.51**	**334.74**	**234.77**
				सकल योग	**1039.96**	**721.24**	**318.72**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3 (ii); पृष्ठ 13)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्माण कार्यों को आरंभ न किये जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

जिला परिषद

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद	अवधि	प्राप्ति	काम की संख्या	व्यय	शेष
1.	बिलासपुर	2013-15	265.20	223	-	265.20
		योग	**265.20**	**223**	-	**265.20**

पंचायात समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	काम की संख्या	व्यय	शेष
1.	बिलासपुर	बिलासपुर	2014-15	22.67	31	-	22.67
2.	भरमौर	चम्बा	2013-15	2.95	5	-	2.95
3.	सुलह	कांगड़ा	2013-15	3.43	6	-	3.43
4.	रैत	कांगड़ा	2014-15	2.91	10	-	2.91
5.	नूरपुर	कांगड़ा	2012-15	2.07	13	-	2.07
6.	हमीरपुर	हमीरपुर	2013-15	1.79	7	-	1.79
7.	नादौन	हमीरपुर	2014-15	8.47	32	-	8.47
8.	करसोग	मण्डी	2011-15	14.83	55	-	14.83
9.	पंचरूखी	कांगड़ा	2013-15	13.83	31	-	13.83
10.	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर	2014-15	2.35	6	-	2.35
			योग	**75.30**	**196**	-	**75.30**

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	काम की संख्या	व्यय	शेष
1.	नेरवा	चौपाल	शिमला	2013-14	0.80	2	-	0.80
2.	आनंदपुर	मशोबरा	शिमला	2012-13	0.20	1	-	0.20
3.	हरिपुर संडोली	नालागढ़	सोलन	2014-15	1.72	3	-	1.72
4.	भटौली कलां	नालागढ़	सोलन	2014-15	1.55	2	-	1.55
5.	मंझौली	नालागढ़	सोलन	2013-14	1.00	2	-	1.00
				योग	**5.27**	**10**	-	**5.27**
				सकल योग	**345.77**	**429**	-	**345.77**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3(iii); पृष्ठ 13)

अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

पंचायत समितियां

(₹ लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	ऊना	ऊना	2014-15	11.90	9.90	2.00
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	2012-15	63.55	51.90	11.65
3.	पांवटा साहिब	सिरमौर	2013-15	19.20	14.35	4.85
4.	मैहला	चम्बा	2012-14	6.24	2.70	3.54
5.	सदर मण्डी	मण्डी	2012-15	8.64	5.95	2.69
6.	पंचरूखी	कांगड़ा	2013-15	56.64	28.32	28.32
7.	शिलाई	सिरमौर	2011-15	35.30	22.70	12.60
8.	सुलह	कांगड़ा	2013-15	42.10	28.68	13.42
योग				**243.57**	**164.50**	**79.07**

ग्राम पंचायतें

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	भटांवाली	पांवटा साहिब	सिरमौर	2010-15	12.38	6.61	5.77
2.	भगांनी	पांवटा साहिब	सिरमौर	2010-15	10.45	9.44	1.01
योग					**22.83**	**16.05**	**6.78**
सकल योग					**266.40**	**180.55**	**85.85**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3 (iv); पृष्ठ 14)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों को अवमुक्त न किये जाने तथा अवमुक्ति में विलम्ब के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

जिला परिषद

(₹ लाख में)

क्रमांक	जिला परिषद	अवधि	प्राप्ति	जारी	शेष
1.	चम्बा	2012-15	1542.05	862.31	679.74
2.	मण्डी	2014-15	2153.38	1418.36	735.02
3.	बिलासपुर	2013-15	1157.59	491.35	666.24
कुल			**4,853.02**	**2,772.02**	**2,081.00**

पंचायत समितियां

(₹लाख में)

क्रमांक	पंचायत समिति	जिला	अवधि	प्राप्ति	जारी	शेष
1.	रैत	कांगड़ा	2013-15	292.73	192.77	99.96
2.	भटियात	चम्बा	2013-15	222.59	90.86	131.73
3.	करसोग	मण्डी	2011-15	221.00	195.28	25.72
4.	भरमौर	चम्बा	2012-15	66.70	34.30	32.40
5.	मैहला	चम्बा	2012-15	294.11	137.74	156.37
6.	सुलह	कांगड़ा	2013-15	146.70	74.60	72.10
7	नूरपुर	कांगड़ा	2012-15	279.56	169.97	109.59
योग				**1,523.39**	**895.52**	**627.87**
सकल योग				**6,376.41**	**3,667.54**	**2,708.87**

परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 15)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत भुगतानों की अवमुक्ति में विलम्ब का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिले का नाम	अवधि	दिनों में विलम्ब	राशि
1.	रायपुर सहोदा	ऊना	ऊना	2014-15	15-60	1.75
2.	काला अंब	पावंटा साहिब	सिरमौर	2014-15	15-90	5.33
3.	भगांनी	पावंटा साहिब	सिरमौर	2014-15	15-90	4.82
4.	सतौन	पावंटा साहिब	सिरमौर	2014-15	15-90	4.43
5.	नगवांई	सदर मण्डी	मण्डी	2010-15	32-75	1.95
6.	भडियारा	चौंतड़ा	मण्डी	2014-15	33-64	0.70
7.	टिक्कर	रोहडू	शिमला	2014-15	49-110	2.13
8.	अप्पर वेहली	सुन्दर नगर	मण्डी	2009-11	86-237	9.98
9.	तरांडा	निचार	किन्नौर	2014-15	30-60	22.95
10.	पांगी	कल्पा	किन्नौर	2014-15	30	5.34
11.	ढलियारा	परागपुर	कांगड़ा	2010-14	5-94	4.58
12.	स्थाना	फतेहपुर	कांगड़ा	2010-15	5-78	6.18
13.	केहड़	सलूणी	चम्बा	2008-14	59-1371	6.38
14.	भांदल	सलूणी	चम्बा	2009-12	93-688	6.39
15.	कलहेल	तीसा	चम्बा	2009-13	86-154	8.61
16.	सलूणी	सलूणी	चम्बा	2009-13	79-459	4.44
17.	बयांणा	सलूणी	चम्बा	2009-14	30-359	2.96
18.	स्नोह	सलूणी	चम्बा	2009-12	99-445	9.76
19.	उद्यपुर	चम्बा	चम्बा	2010-11	54-195	5.64
					योग	**114.32**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-15

(संदर्भ परिच्छेद 4.4.1 पृष्ठ 24)

2012-15 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय की विवरणी

2012-13

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत(+)/ आधिक्य (-)
नगर निगम				
1.	शिमला	**11,083.16**	**7,134.26**	**3,948.90**
नगर परिषद				
1.	चम्बा	369.00	447.00	-78.00
2.	सोलन	4141.94	1282.77	2,859.17
3.	सुन्दरनगर	551.34	719.07	-167.73
4.	बिलासपुर	350.13	287.23	62.90
5.	रामपुर	426.91	384.92	41.99
6.	कुल्लू	667.22	425.50	241.72
7.	हमीरपुर	1,107.31	808.46	298.85
8.	धर्मशाला	437.46	432.31	5.15
9.	मण्डी	891.89	741.01	150.88
10.	देहरा	179.76	122.90	56.86
11.	मनाली	743.10	490.04	253.06
योग		**9,866.06**	**6,141.21**	**3,724.85**
नगर पंचायतें				
1.	सरकाघाट	365.44	364.68	0.76
2.	मेहतपुर	140.85	196.92	-56.07
3.	नारकंडा	11.39	8.10	3.29
4.	अर्की	157.16	72.71	84.45
5.	चौपाल	39.00	39.00	--
6.	जुब्बल	63.00	63.00	--
योग		**776.84**	**744.41**	**32.43**
सकल योग		**21,726.06**	**14,019.88**	**7,706.18**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

2013-14

(₹ लाख में)

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकायों का नाम	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बचत(+)/ आधिक्य (-)
नगर निगम				
1.	शिमला	**18477.58**	**7682.23**	**10795.35**
				नगर परिषदें
1.	चम्बा	405.00	478.00	-73.00
2.	सोलन	4998.00	1403.98	3594.02
3.	सुन्दरनगर	948.39	631.71	316.68
4.	बिलासपुर	278.82	192.09	86.73
5.	रामपुर	503.78	468.43	35.35
6.	कुल्लू	773.99	498.77	275.22
7.	हमीरपुर	1028.02	677.09	350.93
8.	धर्मशाला	500.53	491.79	8.74
9.	मण्डी	651.03	603.50	47.53
10.	देहरा	181.85	112.09	69.76
11.	मनाली	771.01	628.82	142.19
योग		**11,040.42**	**6,186.27**	**4,854.15**
नगर पंचायतें				
1.	सरकाघाट	608.28	297.15	311.13
2.	मेहतपुर	120.79	108.20	12.59
3.	नारकंडा	14.49	38.93	-24.44
4.	अर्की	157.64	96.58	61.06
5.	चौपाल	30.00	23.00	7.00
6.	जुब्बल	31.00	31.00	--
योग		**962.20**	**594.86**	**367.34**
सकल योग		**30,480.20**	**14,463.36**	**16,016.84**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

2014-15

(₹ लाख में)

क्रमांक	**शहरी स्थानीय निकायों का नाम**	**बजट प्राक्कलन**	**वास्तविक व्यय**	**बचत(+)/ आधिक्य (-)**
नगर निगम				
1.	शिमला	**21,652.75**	**7,604.11**	**14,048.64**
नगर परिषद				
1.	चम्बा	365.00	563.00	-198.00
2.	सोलन	5,470.12	1,619.04	3,851.08
3.	सुन्दरनगर	508.36	648.90	-140.54
4.	बिलासपुर	317.70	220.83	96.87
5.	रामपुर	574.02	532.14	41.88
6.	कुल्लू	2,166.17	1,883.52	282.65
7.	हमीरपुर	1237.80	804.53	433.27
8.	धर्मशाला	630.21	621.48	8.73
9.	मण्डी	4,524.15	3,631.83	892.32
10.	देहरा	259.82	154.53	105.29
11.	मनाली	674.09	612.43	61.66
योग		**16,727.44**	**11,292.23**	**5,435.21**
नगर पंचायतें				
1.	सरकाघाट	1,140.92	569.45	571.47
2.	मेहतपुर	259.70	200.78	58.92
3.	नारकंडा	22.10	35.95	-13.85
4.	अर्की	--	--	--
5.	चौपाल	38.00	29.00	9.00
6.	जुब्बल	36.00	36.00	--
योग		**1,496.72**	**871.18**	**625.54**
सकल योग		**39,876.91**	**19,767.52**	**20,109.39**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-16

(संदर्भ परिच्छेद 4.8.1; पृष्ठ 25)

नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बंध में बकाया गृहकर का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	अप्रैल 2013 तक अथशेष	2013-16 के दौरान मांग	कुल मांग	2013-15 के दौरान छुट	2013-15 के दौरान संग्रहण	मार्च 2016 तक बकाया राशि
1.	मण्डी	224.77	154.66	379.43	–	181.45	197.98
2.	देहरा	13.02	2.85	15.87	–	4.06	11.81
3.	रामपुर	58.99	89.40	148.39	0.83	73.25	74.31
4.	हमीरपुर	97.47	163.36	260.83	–	186.60	74.23
5.	चम्बा	55.48	43.92	99.40		33.36	66.04
6.	धर्मशाला	77.78	506.20	583.98	–	496.29	87.69
7.	ज्वालामुखी	96.07	23.24	119.31	1.42		117.89
8.	कुल्लू	16.69	69.03	85.72	--	52.45	33.27
9.	पालमपुर	29.13	106.28	135.41	--	88.37	47.04
10.	परवाणू	70.86	559.64	630.50	--	561.21	69.29
11.	शिमला	756.10	3332.17	4088.27	--	3781.25	307.02
12.	श्री नैना देवी जी	17.71	18.89	36.60	--	14.21	22.39
13.	सुन्दरनगर	156.59	56.18	212.77	--	58.68	154.09
14.	रोहडू	185.48	61.08	246.56	--	1.85	244.71
योग		**1,856.14**	**5,186.90**	**7,043.04**	**2.25**	**5,533.03**	**1,507.76**
नगर पंचायतें							
1.	मेहतपुर	210.51	47.50	258.01	1.95	11.14	244.92
2.	सरकाघाट	25.09	9.84	34.93	--	9.31	25.62
3.	नारकंडा	4.50	1.35	5.85	--	1.74	4.11
योग		**240.10**	**58.69**	**298.79**	**1.95**	**22.19**	**274.65**
सकल योग		**2,096.24**	**5,245.59**	**7,341.83**	**4.20**	**5,555.22**	**1,782.41**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 4.8.2; पृष्ठ 26)

2013-16 की अवधि के दौरान दुकानों/बूथों/स्टालों से किराये के अनुदग्रहण का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	अवधि	01 अप्रैल 2013 तक अथशेष	ऊठाई गई मांग	कुल	31 मार्च 2016 तक संग्रहण	31 मार्च 2016 तक बकाया राशि
1.	बद्दी	2013-16	11.47	19.28	30.75	17.41	13.34
2.	धर्मशाला	2013-16	9.39	128.87	138.26	108.73	29.53
3.	कुल्लू	2013-16	20.27	131.79	152.06	122.91	29.15
4.	ज्वालामुखी	2013-16	58.48	58.02	116.50	45.94	70.56
5.	पालमपुर	2013-16	74.10	71.94	146.04	96.16	49.88
6.	पावंटा साहिब	2013-16	47.37	83.73	131.10	118.85	12.25
7.	रोहडू	2013-16	10.16	28.29	38.45	30.31	8.14
8.	श्री नैना देवी जी	2013-16	31.27	90.00	121.27	81.64	39.63
9.	सुन्दरनगर	2013-16	18.12	25.01	43.13	17.32	25.81
10.	चम्बा	2013-15	52.02	75.14	127.16	73.14	54.02
11.	देहरा	2013-15	17.07	18.14	35.21	14.63	20.58
12.	मण्डी	2013-15	31.76	120.77	152.53	134.65	17.88
13.	रामपुर	2013-15	14.76	16.72	31.48	19.12	12.36
14.	हमीरपुर	2013-15	39.75	36.92	76.67	34.67	42
15.	सोलन	2013-15	64.32	67.60	131.92	54.14	77.78
योग			**500.31**	**972.22**	**1472.53**	**969.62**	**502.91**
नगर पंचायतें							
1.	सरकाघाट	2013-15	14.66	8.41	23.07	9.38	13.69
2.	मेहतपुर	2013-15	5.83	4.07	9.90	2.74	7.16
3.	नारकंडा	2013-15	17.70	19.52	37.22	18.49	18.73
योग			**38.19**	**32.00**	**70.19**	**30.61**	**39.58**
सकल योग			**538.50**	**1,004.22**	**1,542.72**	**1,000.23**	**542.49**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

परिशिष्ट-18

(संदर्भ परिच्छेद 4.8.3; पृष्ठ 26)

शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा

क्रमांक	नगर परिषदों का नाम	प्रतिष्ठापन का वर्ष	अविध जिसके लिए राशि लम्बित है	लगाये गये टावरों की संख्या	राशि
1.	कुल्लू	2006-08	2009-10 से 2015-16	4	1.97
2.	परवाणू	2009-13	2009-10 से 2015-16	4	1.30
3.	रोहडू	2007-08	2012-13 से 2015-16	1	0.26
4.	श्री नैना देवी जी	2004-08	2013-14 से 2015-16	2	0.37
5.	सुन्दरनगर	2007-08	2007-08 से 2012-15	2	0.98
6.	चम्बा	2009-10	2009-10 से 2015-16	6	1.10
7.	बिलासपुर	2001-12	2006-07 से 2014-15	14	3.96
8.	रामपुर	2007-08	2008-09 से 2013-14	4	0.86

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम			टावरों की संख्या	राशि
1.	ज्वालामुखी	2006-15	2013-14 से 2015-16	10	2.53

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम			टावरों की संख्या	राशि
1.	शिमला	---	---	70	11.10
योग				**117**	**24.43**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आपूरित आंकड़े।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2016

www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in

Scanned by CamScanner